# उमा प्रचार

o"k 9] vd 40

**tuojh&ekp 2008**

**nLr[kr l vkx Hkh rk c<**

fo'oukFk lpno

**ipk;rh jkt ?kk"k.kk i= % c#[kh dk rek'kk**

';ke ckgj

**mÙkjk[kM ipk;r jkt fo/k;d tu vkdk{kkvk d foijhr**

i#"kkÙke 'kek

**efgyk ipk;r ifrfufk bl lky Hkh foÙkh; vf/kdkjk l ofpr**

**vU; lekpkj**

doy futh forj.k d fy,

Xkk/kh th dk dguk Fkk *tc rd efgykvk dk o lkj vf/kdkj ugh fey tkr tk i#"kk dk fey g, g] rc rd ge le>uk pkfg, fd Hkkjr vkf'kd i{kk?kkr l xLr gA* ipk;rk e 30 l 50 ifr'kr rd efgyk vkj{k.k] jktuhfr e efgykvk dk 'kh"kLFk ink ij vklhu gkuk vU; {k=k e efgykvk dh {kerk l i{kk?kkr e dN l/kkj gvk gA yfdu nljh rjQ ljip ifr dh lpkb dk Hkh >Byk;k ugh tk ldrk gA bl lpkb l fudydj gh ge i{kk?kkr l ijh rjg eDr gk ldxA

vf/kdkj nu ek= l Ekfgykvk dk l'kDrhdj.k ugh gkxkA efgykvk dk cjkcjh dk vf/kdkj nu d fy, i#"k ekufldrk dk cnyuk Hkh t:jh gA bl crk jg g& fo'oukFk lpnoA

ipk;rk dk Lor= vf/kdkj fn; fcuk ykdr= v/kjk gA ;g okD; ,d lnj ukjk cudj jg x;k gA lfo/kku dh /kkjk 40 d vulkj ipk;rk dk Lor= bdkb d :lk e dke dju d ;kX; cuku dh ftEenkjh jkT; dk nh xb gA yfdu jkT; u mUg viuh v/khuLFk bdkb l vkx c<u dk ekdk gh ugh fn;kA

ipk;rh jkt l'kähdj.k d fy, ipk;rh jkt e=h Jh ef.k'kdj v¸;j vkj e/; in'k d e[; e=h Jh f'kojkt flg }kjk tkjh l;Dr ?kk"k.kk i= l ipk;rk d ifr ljdkj dh mnklhurk dh Li"V >yd feyrh gA

bld vykok ipk;rh jkt lcf/kr dN vU; NViV tkudkjh Hkh iLrr gA

## nLr[kr l vkx Hkh rk c<

### fo'oukFk lpno

aN le; igy fcgkj e ,d v/;kn'k tkjh djd ipk;rk d rhuk Lrjk ij efgykvk d fy, ipkl ifr'kr vkj{k.k dk iko/kku dj fn;k x;k FkkA ljdkj u viuh bl dk;okgh dk Økfrdkjh dgk FkkA mldk dguk Fkk fd lfo/kku e de l de ,d frgkb lhVk dk efgykvk d fy, vkjf{kr dju dh ckr dgh xb gA n'k d lcl fiNM jkT;k e l ,d ekuk tku okyk fcgkj n'k dk igyk ,lk jkT; g] tgk efgykvk d fy, ipk;rk e vkj{k.k lhek ipkl ifr'kr gA

tgk rd ipk;rk e efgykvk d ifrfuf/kÙo dk loky g] lu 2004 e de l de uk ,l jkT; Fk] tgk 33 ifr'kr l vf/kd LFkku efgykvk d ikl FkA djy e rk ;g ifr'kr 57-24 FkkA vle e Hkh ;g 50 ifr'kr l T;knk gA 33 ifr'kr l vf/kd oky jkT;k e vk/kz] NÙkhlx<] xtjkr] dukVd] rfeyukM] mÙkj in'k vkj cxky 'kkfey gA fuf'pr :Ik l ;g vPNh fLFkfr ekuh tkuh pkfg,A n'k e efgyk l'kDrhdj.k dk ;g ,d vkd"kd foKkiu gk ldrk gA cgr&lh ipk;rk e efgyk ifrfuf/k;k u dkQh vPN&vPN dke Hkh fd, gA yfdu bl l'kDrhdj.k dh ,d lpkb ;g Hkh g fd n'k e ,lh vud ipk;r g] tgk efgyk ipk dk dke flQ ifr }kjk crkb xb txgk ij gLrk{kj djuk Hkj gA ,lk gh ,d mnkgj.k gky e lkeu vk;kA jktLFkku d dkdjok xko e tc lkguh noh dk ljip puk x;k] rk efgykvk dk yxk Fkk] vc mud fnu fQjxA ij ;g mudk liuk Hkj FkkA lkguh noh ljip rk cu xb] ij ljiph mud ifr Hkj flg dh gh pyrh FkhA tgk ifr dgrk Fkk] lkguh dk gLrk{kj dju iMrA gk] puko l igy Hkj flg u lkguh dk gLrk{kj djuk vo'; fl[kk fn;kA

gLrk{kj dh bl ckr l e> Vhoh ij fn[kk;k tku okyk ,d foKkiu ;kn vk x;kA bl foKkiu e ,d xkeh.k efgyk LyV ij viuk uke fy[krh g&deykA e tc Hkh lk{kjrk dk ipkj djrk ;g foKkiu n[krk Fkk rk e> yxrk Fkk] deyk dh lk{kjrk viu uke l vkx dc c<xhA dN&dN olk gh vglkl e> lkguh noh d gLrk{kj dj ldu okyh ckr i< dj gvkA efgyk l'kDrhdj.k d uke ij geu mUg flQ gLrk{kj djuk gh fl[kk;k g] gLrk{kj d Åij fy[kh tku okyh bckjr ij rk fdlh Hkj flg dk gh vf/kdkj gA blh dk ifj.kke g fd lephlk{kjrk vkj lep l'kDrhdj.k d cko tn vf/kl[; xko dh vf/kl[; efgyk, vkt Hkh lfn;k ijku jhfr&fjokt k d c/kuk e tdMh gb gA

dkdjok dh ljip lkguh noh dh cVh dk uke j[kk gA ikpoh d{kk e i<rh g j[kkA vc vkx ugh i< ik,xhA Ldy l ykVr g, xko d vlyh ljip] mld firk u ml ,d yMd d lkFk n[k fy;k FkkA bl vijk/k d fy, ml {kek dju dk dkb *iko/kku* xko dh ijijkvk&:f<;k e ugh gA vkj bl ckj e ljip lkguh dk D;k dguk g\ mldk dguk g fd *cVh dk vkj i<ku l Hkh D;k Qk;nkA vkf[kj ml jkfV;k gh rk idkuh gA cPp gh ikyu gA* lekpkj d vulkj bld lkFk gh lkguh noh u ;g dguk Hkh t:jh le>k fd *xko dh ljip gku d ukr e> mnkgj.k Hkh rk i'k djuk gA* fd og xko d jhfr&fjokt k dk ekurh g] fd yMfd;k dk T;knk i<kuk cekuh] fd yMfd;k dk vlyh dke cPp ikyuk gA yMd d lkFk glu&ckyu d vijk/k e cVh dk Ldy NMoku okyh bl ljip u ;g Hkh crk fn;k g fd bDdhloh lnh d Hkkjr e xko vk/kfudrk l fdruh nj gk ldr gA

loky flQ fdlh ,d xko ;k ,d efgyk ljip dk gh ugh g] loky ml ekufldrk dk g] tk Hkkjrh; lekt dk ihN /kdyu e yxh g vkj loky ml ;FkkFk dk g] tk vkx c<u d gekj nkok dk vxBk fn[kk jgk gA lfo/kku e efgykvk dk cjkcjh dk vf/kdkj nuk de egÙoi.k ugh gA vefjdk vkj bXyM tl n'kk e rk mUg ;g vf/kdkj iku d fy, lkyk l?k"k djuk iMk FkkA Ýkl dh Økfr d elhgk :lk dk rk ekuuk Fkk fd efgykvk d fy, jktuhfr oftr gA blds ryuk e gekj egkRek xk/kh dk dguk Fkk] *tc rd efgykvk dk o lkj vf/kdkj ugh fey tkr tk i#"kk dk fey g, g] rc rd ge le>uk pkfg, fd Hkkjr vkf'kd i{kk?kkr l xLr gA* fl)kUrr% vkt ge bl i{kk?kkr d f'kdkj ugh gA gekjk lfo/kku efgykvk dk cjkcjh dk vf/kdkj nrk gA ipk;rk e rhl l ipkl ifr'kr rd vkj{k.k g mud fy,A gekjh jktuhfr e efgyk, 'kh"kLFk ink ij gA gj {k= e Hkkjr dh

efgyk, viuh {kerk dk ifjp; n jgh gA yfdu lu 2006 d Hkkjr e lkguh Hkh ,d lpkb g vkj j[kk HkhA lkguh noh ljip gkr g, Hkh ljip ugh g vkj j[kk ml firk d fu.k; dk ekuu d fy, ck/; g] ftl cVh dk fdlh yMd l ckr djuk xokjk ughA ;g vdyk mnkgj.k ugh g bl rjg dk gekj n'k eA

rfeyukM e gLrk{kj dju okyh ljip d mnkgj.k lkeu vk, FkA lp rk ;g g fd ge vkt Hkh efgykvk dk nlj nt dk ukxfjd le>u okyh ekufldrk e th jg gA xk/kh u dgk Fkk] tc rd cVh d tUe dk Hkh olk Lokxr ugh gkrk] tl k cV d tUe dk gkrk g] ge ijh rjg lH; ugh gkxA Hk.k gR;k, vkj yMd&yMfd;k d vuikr dk c<rk vrj gekjh *lH;rk* dk ,d pgjk g vkj efgykvk dk vf/kdkj ndj Hkh mUg vf/kdkj u nu dh gekjh ekufldrk gekjh *lH;rk* dk ,d vkj pgjk g ! cnyuk pkfg, ;g fLFkfr] yfdu ;g rHkh cnyxh tc lkguk noh vkj j[kk pkgxhA dc pkgxh o bl fLFkfr dk cnyuk\ deyk dk flQ gLrk{kj djuk vkrk FkkA lkguh noh dk gLrk{kj dju d vykok vkj dN dju ugh fn;k tkrkA yfdu D;k\ bldk tokc [kktx] rHkh Økfr gkxhA

**uoHkkjr VkbEl l lkHkkj**

## ipk;rh jkt ?kk"k.kk i= % c#[kh dk rek'kk

**‘’;ke ckgj**

ipk;rh jkt d lc/k e ljdkjh foKkiu]?kk"k.kk,] 'kklu d ifji=] vf/kfu;e vkfn nLrkotk dk i<u l yxrk g fd e/; in'k ykdrkf=d Lo'kklu dh fn'kk e vxlj gA lfo/kku dh /kkjk 40 d vulkj] jkT; xke ipk;rk dk lxBu dju d fy, dne mBk,xk vkj mudk ,lh 'kfDr;k vkj vf/kdkj nxk tk mUg Lok;Ùk 'kklu dh bdkb;k d :Ik e dke dju ;kX; cuku d fy, vko';d gkA tc rd ipk;r Lo'kklu dh bdkb d :Ik e dke ugh djrh rc rd ykdr= v/kjk gA okLrfodrk ;g g fd ipk;r 'kklu d vkn'kk dk ekuu okyh dk;ikfydk dh v/khuLFk bdkb l vf/kd dN Hkh ugh gA bld db dkj.k g] tl ipk;rh jkt lLFkkvk d fy, pu x, tu ifrfuf/k;k d lkeu fo/kk;dk] lkInk vkj ef=;k dh dk;'kyh dk jky ekMy d :Ik e igy l miyC/k gkuk] tfVy dk;n&dkuu vkj ifØ;k;] jkti= vkj 'kklu d ifji=k dh dfBu Hkk"kk] ukdj'kkgh dk rjhdk vkj 0;ogkjA bld vykok jkT; dh bPNk'kfDr ipk;rk dh [kLrk gkyr d fy, lcl vf/kd fTkEenkj gA ljdkj ipk;rh jkt dk fdru lrgh <x l yrh g] bldk thrk&tkxrk mnkgj.k g ipk;rh jkt e=ky;] Hkkjr ljdkj ,o ipk;r ,o xkeh.k fodkl e=ky;] e/; in'k 'kklu }kjk tkjh ipk;rh jkt l'kDrhdj.k dk l;Dr ?kk"k.kk i= tk Hkkjr ljdkj d ipk;rh jkt dfcuV e=h Jh ef.k'kdj v¸;j vkj e/; in'k d e[;e=h Jh f'kojkt flg d gLrk{kjk l tkjh fd;k x;kA

l;Dr ?kk"k.kk i= d igy [kM e e/; in'k 'kklu dh 19 miyfC/k;k crkb xb gA bue Øekad 1]2]3]4]12 vkj 16 e crk;k x;k g fd lfo/kku d iko/kkuk d vulkj Øe'k %

1. lfo/kku l'kk/ku d lHkh iko/kkuk dk e/; in'k d ipk;rh jkt ,o xke Lojkt vf/kfu;e e 'kkfey fd;k x;kA 2- fuokpu vk;kx dk xBu gvk vkj rhu ckj puko djk, x,A 3 foÙk vk;kxk dk xBu gvk vkj mudh vu'klkvk dk ikyu fd;k x;kA 4- jkT; foÙk vk;kx ,o dn d ckjgo foÙk vk;kx dh vu'klkvk d vulkj xke ipk;rk dk mud cd [kkrk e dk"k lh/k vrfjr fd;k x;kA 12- ikpoh vulph d vrxr {k=k e inLFk vf/kdkfj;k vkj fuokfpr ipk;r ifrfuf/k;k d fo'k"k if'k{k.k dh 0;oLFkk dh xb¼'kk;n bl fo'k"k if'k{k.k dk gh iHkko g fd in'k d ikpoh vulph oky {k=k e 0;kogkfjd :l l tehuh Lrj ij dke ugh gk jgk gA bruk gh ugh] ''kklu d lkekU; vkn'k bu {k=k e gh tkjh fd, tkr g ftue l dN rk ikpoh vulph {k=k d iko/kkuk l ey rd ugh [kkr½A 16- ftyk ;ktuk lfefr;k dk xBu fd;k x;k gA bu ftyk lfefr;k dh cBd dh v/;{krk jkT; e=h djr g rFkk lfpo dyDVj gkr gA 'kk;n gh fdlh fty e ipk;r jkt ifrfuf/k;k dh gfl;r bud v/khuLFk l vf/kd gkA lfo/kku d iko/kkuk dk ykx djuk rk jkT; d fy, vfuok;] g] fQj ble miyfC/k tlh dku&lh ckr g\

vU; miyfC/k;k e Hkh Øekd 6 e /kkjk 7 dk tk ftØ g] og v/kj l Hkh de gA mldh ie[k ckr ;g g fd xke lHkk 'kkldh; depkjh dk oru jkd ldrh g] og v/kj l Hkh de gA mldh ie[k ckr ;g g fd xke lHkk 'kkldh; depkjh dk oru

jkd ldrh gA og vkdfLed vodk'k dh Lohdfr nxh rFkk dke e ykijokgh gku ij nM dh flQkfj'k djxh] bldk rk ftØ rd ugh gA ftl /kkjk 7 dk 'kkldh; depkfj;k ij xke lHkk d fu;=.k dk ljdkj viuh miyfC/k eku jgh g] ml in'k d iUuk fty dk NkM dj ckdh 47 ftyk e ykx dju d fy, u rk dkb fu;e cuk, x, vkj u dkb ifØ;k fu/kkfjr dj vkn'k tkjh fd, x,A iUuk fty e dyDVj d Li"V vkn'kk d ckotn mud vulkj dke ugh gk jgk gA 'kklu }kjk cuk, x, dkuu mld vf/kdkfj;k u ykx ugh fd,] bl jkT; ljdkj viuh miyfC/k ekurh g rk t:j eku] ble Hkyk dkb D;k dj ldrk g\

Øekd 9 d vulkj ipk;rdfe;k dk ekun; 2500 #i; dj fn;k gA tgk djy dh xke ipk;rk e 10 l 25 depkjh ¼v/kh{kd] gMDyd] lfpo vkfn½ gkr g vkj cMh xke ipk;r e lfpo jkt-if=r vf/kdkjh gkrk g] ogh e/; in'k e dke dju oky depkfj;k dk pijklh vkj pkdhnkj l Hkh de ekun; nuk D;k jkT; 'kklu dh miyfC/k g \ ljdkj dh bl miyfC/k ij xo fd;k tk,xk ;k 'ke\ fcn 10 e if'k{k.k dh fu;fer 0;oLFkk dk miyfC/k crk;k x;k gA if'k{k.k dh lQyrk dk vnktk rk xke ipk;rk d dke dju vkj mud nLrkotk d j[k&j[kko dk n[k dj Hkyh&Hkkfr yxk;k tk ldrk gA

Øekd 11 e Hkh vulfpr {k= d lc/k e ogh dgk x;k g ftldh ppk Øekd 12 e gk pdh gA Øekd 13 e ykdy QM vkfMV lpkyuky; LFkkfir dju dk ipk;r jkt dk l'kDr dju d fy, miyfC/k D;k dgk tk jgk g\ ;g 'kk/k dk fo"k; g] D;kfd bl lpkyuky; dh LFkkiuk 73o lfo/kku l'kk/ku d cgr igy dh tk pdh FkhA Bhd ;gh ckr Øekd 14 e xkeh.k ;kf=dh lok dh LFkkiuk d lc/k e dh xb gA ;|fi ;kf=dh lok ipk;rk dk rduhdh ekxn'ku nrh g] ijr 1979 d vklikl tc bldh 'k#vkr gb Fkh ml le; vf/kdk'k ipk;r fuyfcr jgrh FkhA tk ipk;r vfLrÙo e Fkh] mud ikl dke] vf/kdkj vkj /ku lHkh yxHkx ux.; gkr FkA

Øekd 18 e dgk x;k g fd tuin ipk;rk dk dEI;Vj fn, x, gA vkt lu 2007 e dk;ky;k dk dEI;Vj ljh[k midj.k nu dk miyfC/k ekuuk fiNMiu dh fu'kkuh gA Øekd 19 e ;k vU; fcnvk e lkekU; fu;ek vkj ifØ;kvk dk ykx dju dk Hkh miyfC/k crk;k x;k gA gk] Øekd 17 e ftyk ipk;r v/;{kk dk jkT; e=h dk ntk nuk t:j ljkguh; ckr gA jk"Vh; xkeh.k jktxkj xkjVh vf/kfu;e d 90 ifr'kr dke xke ipk;r l djkuk ,d ldkjkRed ckr g] c'kr xko d etnjk dk 100 fnu dke fey ikrkA ,d ekV vueku l] etnjk dk tk dke feyk g og mudh t:jr d ,d pkFkkb l vf/kd ugh gkxkA mUg U;ure etnjh cgr de nh xb gA bld ihN rd ;g g fd dke d uki d fglkc l Hkxrku fd;k x;k] tk dgh&dgh 20 #i, ifrfnu rd gvk gA

e/; in'k ljdkj u ipk;rk e efgykvk d fy, 50 ifr'kr LFkku vkjf{kr dju dk egÙoi.k Qlyk fd;k g] yfdu bl bl nLrkot e miyfC/k;k e D;k ugh fxuk x;k \

[kM 2 e e/; in'k 'kklu dh dk;;ktuk dk ftØ g] ftle lkekU; ifØ;kvk d fy, dkf'k'k dju dh ckr dgh xb gA ble ,lh dkb fo'k"k ckr ugh dh xb g tk ipk;rk dk vf/kdkj liUu djrh gk] mUg ub ftEenkjh lkirh gk] Lo'kklu dh bdkb cuu dk mudk ekx i'kLr djrh gk] ukdj'kkgh ij mudh fuHkjrk de djrh gkA

nLrkot d rhlj [kM e Hkkjr ljdkj dh ;ktukvk dk C;kjk g] ftle {kerkof)] if'k{k.k] vkfFkd lg;kx] xkeh.k 0;kikj gc] xkeh.k i;Vu] tfod [krh] [kk| ilLdj.k] gLrf'kYi] m|kfudh] Qy] m|ku] ck;kMhty] y?k gkbMy] vU; xj&ijijkxr Ätk rduhd d fodkl vkfn {k=k e lg;kx dh ckr dh xb g] tk ,d mEehn txkrk gA l?kh; 0;oLFkk e dn ljdkj ipk;rk dk vkfFkd lg;kx nu l T;knk dN ugh dj ldrhA fØ;kUo;u rk jkT; ljdkj dk djuk gA ipk;rh jkt d ifr jkT; ljdkj dh ifrc)rk fujk'k gh T;knk djrh gA ipk;rk dk viu pxy e Qlkdj foQy dju oky ykdr= fojk/kh viuh vkifuof'kd vkj lkerh fojklr d lkFk r= e vkt Hkh ijh rkdr d lkFk ektn g] ftld dkj.k egll gkrk g fd ipk;rh jkt thr th ekr dh ltk Hkxr jgk gA

jkLr e fdruh ck/kk,] D;k u gk] ipk;rk dk ,l dkuuh] i'kklfud] U;k;kf;d vf/kdkj fnyku dh yxkrkj dkf'k'k djuh gkxh ftll o ukdj'kkgh d Qn l vktkn gkdj lÙkk/kh'kk dh egjckuh d fcuk turk dk] turk d fy, vkj turk d }kjk 'kklu LFkkfir dj ldA

**ipk;rh jkt viMV l lkHkkj**

**LFkkuh; 'kklu e Hkkjr&uko lk>nkjh**

Hkkjr rFkk uko LFkkuh; 'kklu d eÌ ij lk>nkjh c<ku dh vkj vxlj gA fiNy fnuk LFkkuh; 'kklu rFkk {k=h; fodkl e=h eYVoV dfYlik d urÙo e uko d ,d ifrfuf/k eMy u Hkkjr dk nkjk fd;kA ifrfuf/k eMy d lnL; *fo'o d lcl cM r.key ykdr=* dk n[k dj iHkkfor g,A dnh; ipk;rh jkt e=h ef.k'kdj v¸;j u dgk] Hkkjr if'pe ;jki uko dh 'kfDr gLrkrj.k d fy, igpkuh tku okyh lcl ijkuh LFkkuh; 'kklu i.kkyh l cgr dN lh[k ldrk gA mUgku crk;k fd uko l LFkkuh; 'kklu d dN igyvk tl uxj fuxe dh lok,] fglkc j[ku d rjhd rFkk ikjnf'krk d rjhd] lh[ku dh dkf'k'k dh tk jgh gA vU; n'kk d lkFk Hkh bl rjg dh lk>nkjh d ckj e mudk dguk Fkk] *ge uko d lkFk 'k#vkr dj] ;jki d vU; ykdr=k l ,l lc/k cuku dk ekMy fodflr dj ldr gA* dfYlik dh ifrfØ;k Fkh fd Hkkjr rFkk uko LFkkuh; Lo'kklu e n{krk rFkk efgyk urÙo dk lgHkkxh Hkkfedk e r;kj dju tl lk>k y{;k dk iklr dju dh dkf'k'k dj jg gA nkuk ef=;k u vrj&ef=eMyh; rFkk vf/kdkjh Lrj dh cBd djoku vkj uko e LFkkuh; 'kklu rFkk Hkkjr e ipk;rh jkt e fo'k"kK 0;fDr;k vkj lLFkkvk e lc/k LFkkfir djoku dh fu.k; fy;kA

**i- jkt viMV l lkHkkj**

# mÙkjk[kM ipk;r jkt fo/k;d tu vkdk{kkvk d foijhr

**i#"kkÙke 'kek**

fj Ny fnuk mUkjk[kM dh [kMjh ljdkj u jkT; fo/kku lHkk e ,d ipk;r jkt fo/k;d i'k fd;kA jkT; cuu d ckn l gh jkT; d ykxk dk mEehn Fkh fd jkT; dh turk dh t:jrk vkj vkdk{kkvk d vu:lk ,d u;k ipk;rh jkt fo/k;d yk;k tk,xk] yfdu iLrkfor fo/k;d jkT; dh fof'k"Vrkvk vkj turk dh vkdk{kkvk d ,dne foijhr gh fudykA ,lk gkrk Hkh D;k ugh! jkT; fo/kku lHkk e ifrfuf/kÙo dju oky gekj tu ifrfuf/k;k vkj mudh ikfV;k d ikl mÙkjk[kM dh leL;kvk vkj lokyk ij lgh le> o tu–f"V dk ijk vHkko gA jkT; cuu d ckn gh jkT; e uhfr fuek.k dk dk; fo'o cd d ilnhnk vf/kdkfj;k vkj Äph igp okyh xj ljdkjh lLFkk dk lki fn;k x;kA gekj vf/kdrj fo/kk;dk vkj ef=;k dk ;g crk ikuk dkQh dfBu gkrk g fd lnu e ftl fo/k;d dk mUgku /ofu er l ikfjr fd;k g] mle D;k&D;k fcn gA

jkT; e fiNyh dkxl ljdkj d le; l gh ipk;rh jkt fo/k;d ij dk; gk jgk FkkA ,d Åph igpokyh xj ljdkjh lLFkk dk nljk Mk¶V cuku dk dke lkik x;k FkkA mlh nkjku dgh l og iLrkfor Mk¶V ej gkFk yx x;kA dN fnuk ckn mlh Mk¶V dk lf{klr :lk ftyk ipk;rk e cgl d fy, Hkstk x;k FkkA exj [kMtk o deh'ku dh jktuhfr e 0;Lr gekjh ftyk ipk;r bl ij dkb lgh jk; ugh Hkst ikbA vc yxHkx ogh Mk¶V [kMjh ljdkj u u, ipk;rh jkt fo/k;d d :lk e i'k fd;k gA

geu ftyk ipk;rk e i'k fd, x, ml Mk¶V e l'kk/ku d fy, dN iLrko jkT; d i'kklfud l/kkj vk;kx d v/;{k dk lkiA exj M< lky chr tku d ckn Hkh u rk i'kklfud l/kkj vk;kx l ge dkb iR;Ùkj feyk vkj u gh gekj l>ko dh dkb >yd u, ipk;rh jkt fo/k;d e fn[krh gA

u, ipk;rh jkt fo/k;d d fy, gekj l>ko bl idkj g %

1- mÙkjk[kM d u, ipk;rh jkt fo/k;d e xke ipk;rk dk Hkfe ic/k deVh cuku d lo/kkfud vf/kdkj fey rFkk vU; jkT;k dh rjg bl Hkfe ic/k deVh dk xke ipk;r dh lhek d vnj dh leLr ctj] cuki] ijrh] pjkxkg] rkykc] ik[kj vkfn dh tehuk d ic/k o forj.k dk vf/kdkj iklr gkA
2- ipk;rk d puko ikVh vk/kkj ij djk, tk,A

ftyk ipk;r v/;{k vkj Cykd ie[k dk puko lh/k turk }kjk gk] rkfd lnL;k dh [kjhn&Qjk[r d ek/;e l bl in ij igpu d i;klk ij jkd yx ldA

3- nl ifr'kr ernkrkvk d gLrk{kj ;ä vfo'okl iLrko ij vke lHkk dh cBd cykus vkj vke lHkk d lk/kkj.k cger ij ifrfuf/k okfilh dk vf/kdkjA

4- fodkl dk;k e gku okyh yV o Hk"Vkpkj dk jkdu d fy, dkjxj dne d rkj ij ipk;rk dh vke lHkk e lk/kkj.k cger }kjk vkjkfir ipk;r ifrfuf/k@vf/kdkjh@depkjh dk rRdky fuycu] ekey dh tkp fcBkuk vkj nk"kh ik, tku ij ltk vkj teku dk iko/kkuA

5- {k= ipk;r lnL;k dk Hkh fodkl dk;k d fy, foÙkh; ,o dk; fØ;kUo;u d vf/kdkjA

6- xke ipk;rk dh lhek e gku oky leLr fodkl dk;k dh fuxjkuh d xkok e dk;jr efgyk o ;od exy nyk dk fuxjkuh lfefr dh ekU;rk nuk] fyf[kr tkp Vhe e vU; d vykok efgyk o ;od exy nyk d v/;{kk dk inu lnL; dk ntkA

7- ipk;r d lHkh fuokfpr ifrfuf/k;k dk U;ure ekun; dh 0;oLFkkA

8- iorh; {k= dh fo"ke Hkkxkfyd fLFkfr;k dk n[kr g, xke ipk;r d xBu d fy, igy dh rjg <kb lk dh vkcknh ekud gkA

**ipk;rh jkt viMV l lkHkkj**

# efgyk ipk;r ifrfuf/k bl lky Hkh foÙkh; vf/kdkjk l ofpr

fcgkj e efgyk l'kDrhdj.k d mÌ'; l f=&Lrjh; ipk;rk vkj xke dpgfj;k d fy, fuokfpr djhc lok yk[k efgyk ifrfuf/k;k dk vkfFkd vf/kdkj fn, tku d uke ij bl lky Hkh doy dkxth okn feyA efgyk ifrfuf/k;k u foÙkh; vf/kdkjk d fy, db vknkyu fd,A

fcgkj ljdkj d ipk;r pukok e efgykvk dh Hkkxhnkjh c<kus d fy, mUg n'k e igyh ckj ,dy ink lfgr ipkl ifr'kr vkj{k.k fn;k x;k FkkA bld ckn in'k e igyh ef[k;k] efgyk ljip] ip vkj xke ipk;r lnL;k dh l[;k djhc lok yk[k gk xbA ljip vkj ef[k;k pu tku d ckn Hkh ij lky bu ipk;r ifrfuf/k;k dk dkb foÙkh; vf/kdkj ugh fn, x,A lkj vf/kdkj ljdkjh vf/kdkfj;k d ikl gh jgA vf/kdkjk d fy, efgyk, ij lky viu&viu i[kMk vkj ftyk e l?k"k djrh jghA nljh vkj ipk;rh jkt fun'kky; u nkok fd;k fd vxy lky l jkT; dh ipk;rk dk foÙkh; vkoVu vkj fodkl dh ;ktuk cuku dk if'k{k.k fn;k tk,xkA

fun'kky; d l=k u dgk fd ipk;rk dk 602 djkM #i, nu dh 0;oLFkk dh tk jgh g] ftl e l 15 l 20 djkM #i, gj fty dk feyu dh mEehn gA bl flyfly e ckr dju ij dN efgyk ipk;r ifrfuf/k;k u jk"kiod dgk fd ljdkj u viu gh cuk, dkuu dk migkl fd;k g vkj ljdkjh vf/kdkfj;k u rduhdh ip yxkdj ipk;r ifrfuf/k;k dk mud gd l ofpr j[kk gA et¶Qjij fty d dkVh i[kM e nknj dk dkYgvk ipk;r dh ef[k;k vferk noh u dgk fd fcgkj jkT; ipk;r vf/kfu;e dh fofHkUu /kkjkvk e bl ckr dk lkQ mYy[k g fd ef[k;k vkj ljipk dk mfpr HkÙk fn, tk,xA yfdu ljdkj u vkt rd bldh 0;oLFkk ugh dhA mUgku dgk fd puko rk djk fn, x,] yfdu mld ckn gku oky dke d fy, cfu;knh ljpuk [kMh ugh dh xbA vkt Hkh efgyk ef[k;k dk viu gh il l dke djuk iMrk g vkj vkoVu d fy, ljdkjh vf/kdkfj;k ij fuHkj jguk iMrk gA

et¶Qjij dh /kekyh xke ipk;r d okM l[;k vkB dh ifrfuf/k y{eh noh u dgk fd ljdkj dh mnklhurk vkj ljdkjh vf/kdkfj;k dh rduhdh vMpuk d dkj.k ipk;r pukok d ckj e ykxk dh jk; cnyuh yxh gA blhfy, gky e g, ipk;r mipukok e djhc nl gtkj ink d fy, fdlh u ipk ugh HkjkA bu ink d fy, fQj l mipuko djkuk iMxkA mUgku dgk fd ljdkj vU; dke ij crgk'kk [kp djrh g] jktuhfrK ipk;rk dk Lokoych cuku d fy, c;ku nr g] yfdu fuokfpr ipk;r ifrfuf/k;k dh fLFkfr e l/kkj dju d fy, dkb dkjxj dne ugh mBk, tkrA

jkgrkl fty dh bnijh xke ipk;r dh fuokfpr ifrfuf/k ikVfj;k noh u crk;k fd mud fuokpu dk djhc M< lky gk x, gA mEehn Fkh fd ljdkj bl lky ipk;rk dk foÙkh; vf/kdkj n nxh] yfdu feyk flQ c;kuk dk >u>ukA blh fty dh lejMhgk ipk;r dh fcnk noh dk ekuuk g fd jkT; ljdkj dk de l de viu cuk, dkuu dk ikyu djuk pkfg, FkkA tc dkuu e ;g iko/kku fd;k x;k g fd fuokfpr ef[k;k vkj ljipk dk HkÙk fn, tk,x rk vkt rd bl ij vey D;k ugh gk ik;k\

fcgkj ipk;rh jkt fun'kky; d ,d ofj"B vf/kdkjh u crk;k fd

dn vkj jkT; ljdkj rduhdh otgk l vc rd HkÜk d loky ij dkb Qlyk ugh dj ikbZ gA nljh vkj fun'kky; d l=k u crk;k fd ipk;rk dk 602 djkM #i, fn, tku d fy, jkT; d lHkh ftyk l iLrko ekx x, FkA 28 ftyk l fey iLrkok dk dn ljdkj d ikl Hkst fn;k x;k gA 'k"k ftyk d iLrko Hkh ftyk l feyr gh Hkst fn, tk,xA

l=k d erkfcd ipk;r ifrfuf/k;k dh dk;{kerk e c<kÙkjh d fy, fofHkUu xj ljdkjh lxBuk d ek/;e l mUg if'k{k.k fnyk, tku dh ;ktuk gA bld fy, dN lxBuk dk puko fd;k tk pdk gA ipk;r ifrfuf/k;k dh dk;{kerk e c<kÙkjh d fy, fofHkUu ftyk dk gj lky 36 djkM #i, dh jkf'k nu dk iko/kku gA

**tulÙkk l lkHkkj**

## jkT; lekpkj

### e/; in'k % mRd"V ipk;r ijLdr gkxh

jkT; 'kklu u vulfpr tkfr ox d lkFk HkknHkko dk de dju rFkk vLi';rk fuokj.k d mi'; l ftyk Lrj ij mRd"V xke ipk;r ijLdkj ;ktuk 2007 dh Lohdr inku dh gA ;g lEeku ifro"k x.kr= fnol ij vk;kftr lekjkg e ipk;r d ljip dk inku fd;k tk,xkA mRd"V dk; dju okyh xke ipk;r dk ,d yk[k #i, dk ijLdkj fn;k tk,xkA ;g jkf'k ipk;r dh fuf/k ekuh tk,xhA

nfyr urk Jh nonflg pkgku u crk;k fd ijLdkj nu d fy, dyDVj dh v/;{krk e ,d p;u lfefr dk xBu fd;k x;k gA ble e[; dk;ikyu vf/kdkjh ftyk ipk;r] mi lpkyd lekt dY;k.k foHkkx vkj ftyk l;ktd vulfpr tutkfr dY;k.k foHkkx lnL; lfpo gkxA

**ub nfu;k l lkHkkj**

### ipk;rk dk fey Hkrh dju dk vf/kdkj

i'kklfud l/kkj vk;kx u ipk;rk dk fu;fDr;k dju dk vf/kdkj fn, tku dh flQkfj'k dh gA vk;kx dk dguk g fd ipk;rk dk ;g vf/kdkj fn, tk, fd og dkuu vkj jkT; ljdkj d fn'kk fun'k d vk/kkj ij bu depkfj;k dh lok 'krk dk r; djA ipk;rh jkt e=h ef.k'kdj v¸;j u ykdlHkk e ;g tkudkjh nh g, dgk fd vk;kx dk dguk g fd bl flLVe dk ykx dju e rhu lky l vf/kd le; ugh yxuk pkfg,A

## jk"Vh; lekpkj

### xke U;k;ky; fo/k;d ij ppk d fy, etjh

i/kkue=h euekgu flg dh v/;{krk e 13 fnlcj dk gbZ dnh; ef=eMy dh ,d cBd e lln e xke U;k;ky; fo/k;d dk vkx c<ku dh vuefr n nh xbA xke U;k;ky; fo/k;d] 2007 dk lln d ekulu l= e i'k fd;k x;k FkkA rFkk bld ckn LFkk;h lfefr dk lki fn;k x;k FkkA lfefr dh vf/kdrj flQkfj'kk dk ljdkj u etj dj fy;k gA ljdkj }kjk l'kk/ku vxy l= e jkT; lHkk e j[k tk;xA iFke J.kh dk U;k;kf/kdkjh bl <kp dk ie[k gkxk rFkk ij n'k d Lrj ij bld fy, 6000 U;k;kf/kdkfj;k dh t:jr gkxhA

bl fo/k;d dk mÌ';] ukxfjdk dk nhokuh rFkk vkijkf/kd nkuk Lrj ij U;k; fnyku rFkk ;g lfuf'pr dju d fy, fd lkekftd rFkk vkfFkd fdlh Hkh v{kerk d dkj.k fdlh ukxfjd dk U;k; feyu e ck/kk u gk] xke U;k;ky; LFkkfir dju dk gA TkEe vkj d'ehj] ukxkyM] v#.kkpy in'k rFkk flfDde dk NkMdj ij n'k dh gj ipk;r e xke U;k;ky; LFkkfir fd, tk,xA

**i- jk- viMV l lkHkkj**

### ;ktuk vk;kx d iLrko dh dkbZ luokbZ ugh

xkeh.k fodkl dk;Øe d ykx gku rFkk ipk;rk d fØ;kdykik e ikjnf'krk yku e lkekftd vd{k.k dh Hkfedk d egÙo d ckj e dN Hkh dguk vfr'k;kfä ugh gkxh] yfdu ljdkj dk vHkh Hkh turk dh e/;LFkrk dh bl itkrkf=d ifØ;k dk dkuuh ntk nu d fy, ;ktuk vk;kx d egÙoi.k iLrko d ifr mi{kk dk #[k gA

vDVwcj 2005 e ;ktuk vk;kx }kjk fn, x, ,d iLrko e lHkh ipk;rh jkt lLFkkvk d fy, lkekftd vd{k.k dk vfuok;Z dju d fy, dkuuh iko/kku cuku dh flQkfj'k dh xbZ FkhA fjikVZ e LFkkuh; bdkb;k d [kkrk rFkk lkekftd vd{k.k dh fjikVZ dk bVjuV ij Mkyu rFkk bld fcuk fdlh Hkh dY;k.kdkjh ;ktuk d fy, dk"k u fn, tku dh flQkfj'k dh Fkh] yfdu vHkh rd ; iLrko ljdkj d fopkjk/khu gh gA

**i- jk- viMV l lkHkkj**

## jkT; rFkk l?k {k=k e ipk;rk dk tulkf[;dh fooj.k

| Øekd | jkT; | xkeh.k tul[;k ½2001 tux.kuk½ | lkpk;rk dh l[;k | | | ifr ipk;r vklr tul[;k | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ftyk | e/;orh | xkao | ftyk | e/;orh | xkao |
| 1 | vk/k in'k | 55401067 | 22 | 1098 | 21825 | 2518230 | 50595 | 2528 |
| 2 | v#.kkpy in'k | 870087 | 14 | 136 | 1639 | 62149 | 6398 | 531 |
| 3 | vle | 23216288 | 20 | 188 | 2223 | 1160814 | 124151 | 10783 |
| 4 | fcgkj | 74316709 | 38 | 531 | 8471 | 1955703 | 139956 | 8773 |
| 5 | NÙkhlx< | 16648056 | 16 | 146 | 9820 | 1040504 | 114028 | 1822 |
| 6 | xkok | 677091 | 2 | 0 | 190 | 338546 | | 3582 |
| 7 | xtjkr | 31740767 | 25 | 224 | 13819 | 1269631 | 141700 | 2297 |
| 8 | gfj;k.kk | 15029260 | 19 | 119 | 6187 | 791014 | 126296 | 2429 |
| 9 | fgekpy in'k | 54482319 | 12 | 75 | 3243 | 456860 | 73098 | 1691 |
| 10 | >kj[kM | 20952088 | 22 | 211 | 3746 | 952368 | 99299 | 5593 |
| 11 | dukVd | 34889033 | 27 | 176 | 5653 | 1292186 | 198233 | 6173 |
| 12 | djy | 23574449 | 14 | 152 | 999 | 1683889 | 155095 | 23789 |
| 13 | e/; in'k | 44380878 | 48 | 313 | 23051 | 986242 | 141792 | 2015 |
| 14 | egkjk"V | 55777647 | 33 | 351 | 27918 | 1690232 | 159821 | 1953 |
| 15 | mMhlk | 31287422 | 30 | 314 | 6234 | 1042914 | 99641 | 5019 |
| 16 | itkc | 16096488 | 17 | 141 | 12447 | 946852 | 114975 | 1294 |
| 17 | jktLFkku | 43292813 | 32 | 237 | 9188 | 1352900 | 182670 | 4712 |
| 18 | flfDde | 480981 | 4 | 0 | 166 | 120245 | | 2897 |
| 19 | rfeyukM | 34921681 | 28 | 385 | 12618 | 1204196 | 90706 | 2768 |
| 20 | f=ijk | 2653453 | 4 | 23 | 513 | 663363 | 115368 | 5172 |
| 21 | mUkj in'k | 131658339 | 70 | 820 | 52000 | 1880833 | 160559 | 2532 |
| 22 | mUkjk[kM | 6310275 | 13 | 95 | 7227 | 485406 | 66424 | 873 |
| 23 | lkf'pe cxky | 57748946 | 13 | 341 | 3354 | 3208275 | 169352 | 17218 |

*Lkkr % LFkkuh; 'kklu ij fjikV] f}rh; i'kklfud l/kkj vk;kx] vDVcj 2007 ef.kij d fooj.k miyC/k ugh g*

vkb-,l-,l-Vh-] vij xkmM ¶ykj] dkj 6&,] bfM;k gfcVV lVj] yk/kh jkM] ub fnYyh&3 }kjk idkf'kr
l;ktu % etJh feJA lkt&lTtk % fo'kky dekj xk;yA b&ey % isstdel@isst-india.org
oclkbV % www.isst-india.org Qku % 91-11-24647873, 24653780

# उमा प्रचार

अप्रैल से जून 2008

वर्ष 10 अंक 41

ग्राम माता से भारत माता तक
राजकिशोर

महिला राजनीतिक सशक्तीकरण दिवस समारोह

धूल के रत्न को पंचायत महिला नेत्री पुरस्कार

पंद्रह वर्षों बाद पंचायती राज : आगे की चुनौतियाँ
बी.एस.बाविस्कर

राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा अन्य शर्तें

केवल निजी वितरण के लिए

## यह अंक

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा महिला राजनीतिक सशक्तीकरण दिवस समारोह की पंद्रहवीं सालगिरह मनाई गई। इस समारोह का विषय था - पंचायतें, महिलाएँ और बाल अधिकारों की सुरक्षा। समापन समारोह में पूर्व पुलिस अधिकारी किरन बेदी ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें केवल अपने बच्चों की जिम्मेदार मां ही नहीं बनना, बल्कि अपने-अपने गाँव की और अंततः देश भर की माँ(भारत माता) बनना है।

इस अंक में प्रस्तुत है - किरन बेदी द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया जोशीला उद्‌बोधन।

अप्रैल २००८ यानि पंचायती राज की पंद्रहवीं सालगिरह। इस संवैधानिक आदेश को ‘मौन क्रांति’, ‘लोकतंत्र में अब तक का महानतम प्रयोग’ आदि विशेषण दिए गए हैं। अब तक तीन आम चुनाव, महिलाओं और अनुसूचित जाति, जनजातियों का क्रमशः ३७,१६ और १२ प्रतिशत प्रतिनिधित्त्व आदि उपलब्धियाँ हैं। लेकिन हमें इन उपलब्धियों को देखकर ही निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तभी यह ‘महानतम प्रयोग’ सही अर्थों में सफल हो सकता है।

प्रस्तुत है बीएस बाविस्कर की एक टिप्पणी।
तिहत्तरवें संविधान संशोधन की पंद्रहवीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित जिला और मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन की संक्षिप्त जानकारी भी प्रस्तुत है।

# ग्राम माता से भारत माता तक

## राजकिशोर

**किरन बेदी ने कहा कि माँ होना काफी नहीं है, माँ बनो। अपने बेटे-बेटियों को खूब पढ़ाओ-लिखाओ। तभी वे आगे बढ़ेंगे और एक दिन तुम्हारी तरह पंच-सरपंच बनेंगे। इसके बाद किरन बेदी ने माँ के अर्थ का विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं बनना है, पूरे गाँव की माँ बनना है।**

किरन बेदी अच्छा बोलती हैं यह मैंने सुना था, देखा नहीं था। महिला पंचों और सरपंचों के एक सम्मेलन में किरन बेदी को बोलते हुए सुना और तुरंत उन पर लट्टू हो गया। मैं ही नहीं वहाँ उपस्थित सभी स्त्री-पुरुष लट्टू हो गए। उस सत्र में किरन बेदी को समापन भाषण देना था, लेकिन उन्होंने कोई औपचारिक भाषण बिल्कुल नहीं दिया। शायद वे समझ गईं कि गाँव से आए इन लोगों को शहरी भाषण पिलाना मूर्खता है। इसके बजाय उन्होंने पंचों-सरपंचों से संवाद करना शुरु कर दिया। उस सम्मेलन में उपस्थित अधिकांश स्त्रियाँ माँ थीं, लेकिन शायद पहली बार उन्होंने इतनी संजीदगी से माँ होने का मतलब सुना होगा।

किरन बेदी ने कहा कि माँ होना काफी नहीं है, माँ बनो। अपने बेटे-बेटियों को खूब पढ़ाओ-लिखाओ। तभी वे आगे बढ़ेंगे और एक दिन तुम्हारी तरह पंच-सरपंच बनेंगे। इसके बाद किरन बेदी ने माँ के अर्थ का विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं बनना है। माँ जन्म देती है, इसीलिए बच्चे के प्रति उसकी ममता सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जब वह सरपंच बनती है, तो उससे उम्मीद की जाती है उसमें पूरे गाँव के प्रति वही ममता होगी जो अपने बच्चों के प्रति है। अतः वह ग्राम माता बन जाएगी। पुरुष जब ग्राम पिता बनता है तो वह सेवा करने के बदले रुतबा बढ़ाने में लग जाता है। वह जैसे अपने बच्चों पर हुक्म चलाता है, उसी तरह गाँव वालों पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है। इसीलिए पिता से उतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती, जितनी माता से।

किरन बेदी की बातें सुनकर स्त्रियाँ भी जोश में आ गई थीं और बीच-बीच में अपने संकल्पों की घोषणा भी करती जाती थीं। मैं आनंद से चमत्कृत तब हो गया, जब किरन बेदी ने कहा कि आप लोगों को सिर्फ माता बनकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि भारत माता बनकर दिखाना चाहिए। उनकी यह बात सोलहों आना सही है। पंचायती राज के समर्थक गाँव के बारे में ज्यादा सोचते हैं, देश के बारे में कम। उनका कहना होता है कि गाँव समृद्ध होंगे, तभी देश समृद्ध होगा। इस तरह पंचायतवाद ग्रामवाद में बदल जाता है। निर्वाचित पंच सरपंच भी ऐसा ही सोचते हैं। उनकी दृष्टि अपने गाँव से आगे नहीं जाती। वे इस सिक्के का यह दूसरा पहलू भूल जाते हैं कि जब तक राष्ट्रीय स्तर पर उचित नीतियाँ नहीं बनेंगी, ठीक से कामकाज नहीं होगा, तब तक गाँव की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं हो सकता।

उदाहरण के लिए पिछले कई वर्षों से कई राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर गाँव में निर्वाचित ग्राम पंचायत है, लेकिन कोई भी पंचायत इस दुखद घटना को रोक नहीं पाती। यह असमर्थता इसीलिए है कि राष्ट्रीय अर्थनीति पर गाँवों का कोई प्रभाव नहीं है। हमारे पास ग्राम माताएँ हैं, भारत माताएँ नहीं हैं। भारतीय स्तर पर योजना बनाने वाले और देश की हुकूमत चलाने वाले भारी संख्या में मौजूद हैं, पर वे गाँवों की वास्तविक स्थितियों और जरूरतों से अनजान हैं। इस तरह, गाँव और देश के बीच जो पुल बनने चाहिए, वे अभी हमारे स्वप्नों में हैं। ये पुल कब बनेंगे ?

ये पुल ऊपर से तो नहीं बन सकते। राष्ट्रीय सरकार ज्यादा से ज्यादा यह सोच सकती है कि गाँव वालों के लिए साल भर में कम से कम सौ दिनों के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दो और अपनी इस लघु सोच पर अभिमान कर सकती है। किसी गाँव वाले से पूछकर देखिए। क्या वह कभी स्वीकार कर सकता है कि गाँव में सिर्फ सौ दिनों के रोजगार गारंटी की ज़रूरत है– इसी से गाँव की गरीबी दूर हो जाएगी। तिनकों से चिड़ियों के घोंसले बनाए जा सकते हैं, आदमियों के घर नहीं बनाए जा सकते। यह तो तभी हो सकता है जब ग्राम माताएँ भारत माता बनकर दिखाएँ। गाँवों के पुरुष राष्ट्रीय नीतियों पर गंभीरता से विचार करें और उनमें बदलाव लाने की माँग करें।

गाँव, शहर और देश के बीच एक जीवंत कड़ी है, इसे महसूस किए बिना संपूर्ण भारतीय नहीं बना जा सकता। जो सिर्फ अपनी और अपने गाँव या शहर की सोचता है, वह अपूर्ण भारतीय है। जब उसे संपूर्ण भारतीय होने का चस्का लगेगा, तो वह खुशी या गम से पागल हो जाएगा। जरूरत तो हमें विश्व मानवों की भी है, लेकिन जब तक राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार नहीं होता, विश्व मानव बनने की इच्छा हास्यास्पद परिणाम भी ला सकती है। भारत के महानगरों में ऐसे विश्व मानव बहुत दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें अपने देश की स्थितियाँ विचलित नहीं करतीं। फिर भी भूमंडलीकरण के इस समय में विश्व स्तर पर होने वाली चहल-पहल से हम आँख नहीं मूँद सकते। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि वह विश्व नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता। पर वह इतना कमजोर भी नहीं है कि अपने को इन नीतियों के दुष्प्रभावों से बचा नहीं सके। इसीलिए पंचायतवाद को भारतवाद और अंततः विश्ववाद से जोड़ने की ज़रूरत है। तभी वह वर्तमान संस्कृति का एक हिस्सा बनकर रह जाने के बजाय एक नई और बेहतर संस्कृति का वाहक बन सकता है।

**नईदुनिया से साभार**

## महिला राजनीतिक सशक्तीकरण दिवस समारोह

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली द्वारा १४ वें महिला सशक्तीकरण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का मुख्य विषय था - पंचायतें, महिलाएँ और बाल अधिकारों की सुरक्षा। इस विषय पर समारोह में आए पंचायती राज के विभिन्न विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। समारोह के पहले दिन विशेष सत्र के दौरान हंगर प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय निदेशक रीता सरीन ने बताया कि पंचायती राज के इन पंद्रह वर्षों में करीब ६५,००० निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएँ और भी ज्यादा सशक्त हो चुकी हैं। अभी इस प्रशिक्षण को और अधिक प्रतिनिधियों तक पहुँचाए जाने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में आई डॉक्टर बरनाली दास गुप्ता, सामाजिक विकास परिषद्, नई दिल्ली की सह सदस्य ने बताया कि महिलाएँ विकास प्रक्रिया की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं। पंचायतों को महिला भागीदारी के द्वारा और भी ज्यादा क्रियाशील बनाया जा सकता है। हक, बाल अधिकार केंद्र नई दिल्ली की कार्यकारी निदेशक इनाश्री गांगुली ने बाल श्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बालश्रम निरंतरता में गरीबी के साथ-साथ लोगों की मनोवृत्ति भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है। भारत सरकार के नगर तथा गाँव नियोजन संगठन के सह-डीसीपी पवन कुमार ने बताया कि बहुत से माता-पिता अपनी बेटियों को कुछ तो बेटों को भी स्कूल भेजना नहीं चाहते। सरकार ने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे मिड-डे मील, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, प्रत्येक गाँव में स्कूल इत्यादि, परंतु इन योजनाओं को लागू करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, खासकर महिलाओं को सामने आना होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय की समाज विज्ञान की प्रोफेसर तुलसी पटेल ने दो बच्चों के नियम पर विस्तारपूर्वक बातचीत की। उन्होंने बताया कि दो बच्चों के नियम का इस्तेमाल ऊँची जातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रतिनिधियों को उनके पदों से हटाए जाने के लिए किया जा रहा है। प्रोफेसर पटेल ने कहा कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी किसी व्यक्ति की कितनी संतानें होनी चाहिए को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय मान चुका है। अतः दो बच्चों के नियम को हटा देना चाहिए। गिल्ड ऑफ सर्विस, नई दिल्ली की अध्यक्ष मोहिनी गिरी ने समारोह में आईं महिला पंचों से अपील की कि उन्हें दो बच्चों के नियम को वापस लेने की माँग सरकार के सामने रखनी चाहिए।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यूएनडीओसी, नई दिल्ली के परियोजना संचालक पी.एम. नायर ने मानव व्यापार, खासकर महिलाओं और बच्चों के व्यापार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पंचायतें इस अपराध को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस अपराध का मुख्य कारण अज्ञान है। मानव व्यापार के बारे में जागरूकता फैला कर इसे कम किया जा सकता है।

स्वास्थ्य तथा बाल अधिकार, नई दिल्ली की सलाहकार डॉक्टर नलिनी अब्राहम ने बताया कि देश की ८५ प्रतिशत जनता की

कमाई का उपभोग १५ प्रतिशत लोग कर रहे हैं। उन्होंने बाल अधिकारों के बारे में बात करते हुए कहा कि बच्चों को स्वास्थ्य तथा शिक्षा का अधिकार है। धूला रतनम ने इसी अधिकार के बारे में बात की थी जब उसे गाँव के दबंग लोगों ने मार दिया। बाल सुरक्षा के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालाँकि पंचायतें इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, लेकिन ०-३ आयु वर्ग के बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उनका कहना था कि जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के पंजीकरण के लिए हर जिला कार्यालय में एक पंजीकरण केंद्र होना चाहिए। संस्था के वरिष्ठ फेलो बी.एस. बाविस्कर तथा सह-निदेशक आशनारायण राय की अध्यक्षता में चले खुले सत्र में संभागियों ने खुल कर अपनी बात कही।

इस समारोह में धूला रत्नम पर फिल्मकार सहजो सिंह द्वारा बनाई गई एक वृत्त फिल्म भी दिखाई गई, जो इस ट्रेज़ेडी के विभिन्न पक्षों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में पूछा जाता है : आप किसकी तरफ हैं? विश्व युवक केंद्र के सभागार में उपस्थित, देश भर से आईं लगभग ६०० महिला पंचायत प्रतिनिधियों की गीली आँखें बता रही थीं कि वे किसके साथ हैं।

समापन समारोह में पुलिस अधिकारी किरन बेदी ने पंचायत प्रतिनिधियों का आहवान किया कि उन्हें न केवल अपने बच्चों की जिम्मेदार माँ, बल्कि अपने-अपने गाँव की और अंततः देश भर की माँ(भारत माता) बनना है।

**पंचायती राज अपडेट से साभार**

## धूल के रत्न को पंचायत महिला नेत्री पुरस्कार

इस वर्ष का विशिष्ट महिला पंचायत नेत्री पुरस्कार मृत्युपरांत धूला रत्नम को दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा आयोजित महिला राजनीतिक सशक्तीकरण दिवस समारोह के अवसर पर २१ अप्रैल २००८ को यह पुरस्कार दिया गया। धूला रत्नम के पुत्र शचिनारायण ने बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर शांता सिन्हा और यूनिसेफ, नई दिल्ली की उपनिदेशक एन. हैसेलबाल्च से ग्रहण किया।

४५ वर्षीय धूला रत्नम आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले की श्रुंगवृक्षम ग्राम पंचायत की पंचायत सदस्य थीं। वे सचमुच धूल का रत्न थीं। उन्हें पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार से संघर्ष करने वाली शहीद के रूप में याद किया जाएगा। उनके जुझारू स्वभाव के कारण पहले तो उन्हें २००६ के पंचायत लड़ने से रोकने की कोशिश की गई। फिर जब ये चुनाव जीत ही गईं तो उन्हें पंचायत सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने से विरत करने का पूरा प्रयास किया गया। जब भी वे इस तरह के सवाल उठातीं कि पंचायत द्वारा खर्च की गई राशि के रिकॉर्ड कहाँ हैं, फर्जी नामों को भुगतान क्यों किया गया, राशन की दुकान के चावल की तस्करी के लिए कौन जिम्मेदार है या ग्राम सभा की सहमति के बगैर लाभग्राहियों की सूची कैसे बन गई, तो गाँव के निहित स्वार्थवाले व्यक्तियों ने निश्चय किया कि धूला के जीवित रहते पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं चलाया जा सकता। १४ जुलाई की रात को पंचायत सदस्य के घर में आग लगा दी गई। धूला और उनका आठ वर्षीय पौत्र वीरबाबू इस आगजनी की भेंट चढ़ गए।

## पंद्रह वर्षों बाद पंचायती राज : आगे की चुनौतियाँ

**बी.एस.बाविस्कर**

तिहत्तरवें संविधान संशोधन को पारित हुए पंद्रह वर्ष पूरे हो चुके हैं। २६ विषयों का हस्तांतरण, महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, राज्य चुनाव आयोगों की देख-रेख में आवधिक चुनावों की वैधानिक जरूरत, राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार पंचायत निकायों को कोष हस्तांतरण - ये उस संवैधानिक आदेश की, जिसे मौन क्रांति कहा जाता है - की विशेषताएँ हैं। राजनेताओं ने इसे लोकतंत्र में 'अब तक का महानतम प्रयोग' कहा है।

अब तक पंचायतों के तीन आम चुनाव हो चुके हैं और २.४ लाख पंचायत निकाय निर्वाचित हो चुके हैं। पूरे देश से करीब २७ लाख सदस्य चुने जा चुके हैं, जिनमें ३७ प्रतिशत महिलाएँ, क्रमशः १६ तथा १२ प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ तथा जनजातियाँ हैं। यह सचमुच

प्रभावशाली तथा अभूतपूर्व है। भारतीय होने के नाते इन उपलब्धियों पर गर्व करना गलत नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी कमियों पर ध्यान रखना चाहिए और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्याओं का वास्तविक मर्म अधिकारों, कोष तथा अधिकारियों के हस्तांतरण में है, जिसके बिना पंचायतें लोकतांत्रिक सरकार के तीसरे संस्तर के रूप में काम नहीं कर सकतीं। नवंबर २००६ में उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल आठ राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र ने पंचायती राज संस्थाओं को सारे २६ विषय स्थानांतरित किए हैं। इसमें से अधिकतर हस्तांतरण पर्याप्त निधि के अभाव में केवल कागज़ी कार्यवाही बन कर रह गए हैं। केरल ही एकमात्र राज्य है जिसने अपने योजना व्यय का ४० प्रतिशत हिस्सा पंचायतों को हस्तांतरित किया है। बहुचर्चित जिला नियोजन समितियों के गठन का रिकार्ड भी इतना ही निराशाजनक है। सिर्फ १३ राज्यों और चार संघ शासित प्रदेशों ने ये समितियाँ बनाई हैं तथा उनमें से बहुत-सी समितियाँ स्थानीय नियोजन के एक उपयोगी औजार के रूप में काम करने के बजाय मात्र कागज पर अपना वजूद बनाए हुए हैं।

महिला सशक्तीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन निर्वाचित महिलाओं के रास्ते में युगों से चली आ रही पुरुष-प्रधानता, जो परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा उन्हें प्रॉक्सी की भूमिका निभाने को बाध्य करती है, जैसी अनेक बाधाएँ हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार निर्वाचित तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय प्रभुत्त्वकारी जातियों की तरफ से तीखा विरोध और भेदभाव झेलना पड़ता है। ग्राम सभाएँ, जिन्हें प्रामाणिक लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ काम करना था, बहुत-से मामलों में सही ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। उन्हें अक्सर औपचारिकता पूरी करने वाले कर्मकांड की तरह देखा जाता है। स्थानीय अफसरशाही के अलावा विधायक तथा सांसद भी पंचायती राज संस्थाओं को अपनी शक्ति तथा विशेषाधिकारों के लिए एक खतरा समझते हैं और इन्हें दबाने का हर संभव प्रयास करते हैं।

पंचायती राज संस्थायें इन चुनौतियों का दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ सामना कर पाती हैं, तो उनके विकास की काफी संभावना है। उन्हें प्रामाणिक भागीदारी के लिए काम पंचायती राज संस्थाओं के विरोधियों से संघर्ष के साथ ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना को भी आत्मसात करना होगा।

**पं.रा. अपडेट से साभार**

## राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन में प्रधानमंत्री को पंचायत चार्टर प्रदान किया गया

तिहत्तरवें संविधान संशोधन की पंद्रहवीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा २२ से २४ अप्रैल को दिल्ली में जिला और मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह अपने ढंग का पहला सम्मेलन था। सम्मेलन में २६ राज्यों और पंच संघ क्षेत्रों के लगभग ८००० प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अनेक राज्यों के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी आए।

संघीय पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पंचायती राज प्रणाली को बेहतर बनाने और उसमें नए प्राण फूँकने के लिए संघ सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उस पर प्रकाश डाला। उन्होंने वादा किया कि पंचायतों को सक्षम और शक्तिशाली बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, वह संघ सरकार करेगी।

दूसरे दिन, प्रत्येक राज्य के शिष्टमंडल के दो प्रतिनिधियों ने पंचायत चार्टर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने-अपने राज्य में पंचायतों की समस्याओं पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि इन समस्याओं से निपटने के लिए कौन-से कदम उठाना आवश्यक है। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न मुद्‌दों पर तीन तकनीकी सत्र हुए।

तीसरे दिन, यानि २४ अप्रैल को पंचायत दिवस के अवसर पर पंचायत चार्टर की प्रति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेंट की गई। इस चार्टर में बहुत से सुझाव दिए गए हैं, ताकि पंचायती राज ठोस और पूर्ण बन सके। जैसे राज्यों के बजट में सभी स्कीमों को एक पंचायत सेक्टर विंडो में ला कर कोष का प्रवाह सुनिश्चित करना, पंचायत को कोष, कार्य और कर्मचारी प्रदान करने, राज्यों द्वारा जिला नियोजन

समितियों का गठन, जिला योजनायें बनाने में उनके लिए तकनीकी सहयोग की व्यवस्था लागू करना आदि। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वे इस पर विचार करेंगे कि संघ सरकार के कार्यक्रमों में कैसे परिवर्तन किए जाएँ, जिससे राष्ट्रीय प्रगति में पंचायतों की सशक्त हिस्सेदारी हो सके। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि स्त्रियों का सशक्तीकरण पंचायती राज की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज के कार्यक्रम की एक मुख्य विशेषता यह थी कि चार महिला पंचायत प्रतिनिधि प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के साथ मंच पर बैठीं।

इस अवसर दो पुस्तकों का विमोचन हुआ : पंचायतों की स्थिति : २००७-२००८ : एक स्वतंत्र मूल्यांकन(तीन खंडों में) और पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर एक अध्ययन।

**पंचायती राज अपडेट से साभार**

## संसद में मास्टर, पंचायत में पीछे

**पूनम पांडे**

हमारे देश में शिक्षा के मामले में महिलाओं की स्थिति भले ही पुरुषों से खराब है, लेकिन संसद में महिलाएँ पुरुषों से बहुत आगे हैं। संसद में ४० प्रतिशत से अधिक महिला सांसद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि २७ प्रतिशत पुरुष सांसदों के पास ही मास्टर डिग्री है। लेकिन पंचायत स्तर पर यह स्थिति एक बार फिर उलट जाती है। वहाँ महिलाएँ पुरुषों की बराबरी नहीं कर पा रही हैं। महिला ग्राम प्रधानों में ११ प्रतिशत अनपढ़ हैं, इसके विपरीत केवल २.६ प्रतिशत ग्राम प्रधान ऐसे हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए। वार्ड सदस्यों की भी यही स्थिति है। २६ प्रतिशत महिला वार्ड सदस्य और करीब ७ प्रतिशत पुरुष वार्ड सदस्य अनपढ़ हैं।

संसद में ३.५ सदस्य मैट्रिक तक नहीं पहुँच पाए हैं। मैट्रिक पास करने वाले करीब ८ प्रतिशत हैं। इनमें एक भी महिला सदस्य शामिल नहीं है। ३६ प्रतिशत महिला सांसद और ४६ प्रतिशत पुरुष सांसद ग्रेजुएट हैं। सबसे अधिक यानि ४० प्रतिशत महिलाएँ पोस्ट ग्रेजुएट हैं।

अगर राज्यवार देखें तो सबसे अच्छी स्थिति मणिपुर की है। यहाँ कोई भी ग्राम प्रधान अनपढ़ नहीं हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। सभी आठवीं या इससे ज्यादा पढ़े हैं। इसके बाद असम का नंबर है। करीब ६७ प्रतिशत महिला और ६४ प्रतिशत पुरुष प्रधान आठवीं क्लास से ज्यादा पढ़े हैं। इसी तरह गोवा, हिमाचल, उड़ीसा और केरल में कोई भी ग्राम प्रधान अनपढ़ नहीं है। सबसे खराब स्थिति कर्नाटक की है। यहाँ ३४ प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान और करीब १३ प्रतिशत पुरुष ग्राम प्रधान कभी स्कूल ही नहीं गए हैं।

समाजशास्त्री आशीष नंदी का मानना है कि संसदीय राजनीति में ज्यादातर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की महिलाएँ आती हैं। इसीलिए संसद में ज्यादा पढ़ी-लिखी महिलाएँ दिख रही हैं। इसके विपरीत पंचायतों में दबे-कुचले वर्ग की महिलाएँ भी प्रधान बनी हैं। कोटा और आरक्षण की वजह से कई निम्न वर्ग की महिलाओं को भी मौका मिला है। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में अनपढ़ महिलाएँ भी घरों से बाहर निकलकर पंचायत तक पहुँच रही हैं।

| एजुकेशन | मैट्रिक | सीनियर सेकेंड्री | ग्रेजुएट | पोस्ट ग्रेजुएट | पीएचडी |
|---|---|---|---|---|---|
| महिला सांसद | | १४.२८ | ३६ | ४० | ४.०८ |
| पुरुष सांसद | ७.८ | ६.६ | ४६ | २७.३६ | ३.६ |
| **एजुकेशन** | **अनपढ़** | **प्रायमरी** | **मिडिल स्कूल** | **मिडिल स्कूल और ज्यादा** | |
| महिला प्रधान | ११.४ | १६.८ | १६.४ | ५२.४ | |
| पुरुष प्रधान | २.६ | ८.२ | ११.१ | ७८.१ | |

**नवभारत टाइम्स से साभार**

## राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा अन्य शर्तें

| राज्य | कार्यकाल | आयु सीमा | योग्यता | पद |
|---|---|---|---|---|
| असम | ४ वर्ष | ६२ वर्ष | राज्य अथवा केंद्र सरकार की प्रशासनिक, न्यायायिक या वैधानिक सेवाओं में न्यूनतम २५ वर्ष का अनुभव | पद : अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के समकक्ष। वेतनमान : सरकार से प्राप्त पिछला वेतन, ऋण पेंशन के समकक्ष। |
| बिहार | ३ वर्ष | ६२ वर्ष | न्यूनतम : भारत सरकार का अतिरिक्त सचिव या उसके समकक्ष पद। | वेतन : सरकारी नौकरी में मिलने वाले वेतन के बराबर ऋण पेंशन के समकक्ष |
| हरियाणा | ५ वर्ष | ५५ तथा ६५ वर्ष के बीच | उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या पाँच वर्ष तक आयुक्त के पद पर सरकारी सेवा का अनुभव | वेतन : सरकारी नौकरी में मिलने वाले वेतन के बराबर ऋण पेंशन के समकक्ष |
| हिमाचल प्रदेश | ५ वर्ष | ६५ वर्ष के बीच | न्यूनतम : अतिरिक्त मुख्य सचिव या उसके समकक्ष पद। | वेतन : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर, ऋण पेंशन |
| कर्नाटक | ५ वर्ष | ६२ वर्ष | कोई योग्यता निर्धारित नहीं | वेतन : राज्य चुनाव आयोग में नियुक्ति के समय सरकारी नौकरी में मिलने वाले वेतन के बराबर या ६,५०० रुपए प्रतिमाह, जो भी अधिक हो, ऋण पेंशन |
| केरल | ४ वर्ष | ६२ वर्ष | कोई योग्यता निर्धारित नहीं | पद : राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष<br>वेतन : ८००० रुपए प्रतिमाह(पुराना वेतनमान) ऋण पेंशन |
| **मध्य प्रदेश** | ६ वर्ष | ६२ वर्ष | न्यूनतम : भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या राज्य सरकार में उसके बराबर का पद | वेतन : ७,६०० रुपए प्रतिमाह(पुराना वेतनमान) (वेतन सुरक्षा का भी प्रावधान) |
| उड़ीसा | ५ वर्ष | ६२ वर्ष | उच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश या सेवा-निवृत्त जिला न्यायाधीश या सेवारत सिविल अधिकारी | वेतन : २०,४५० रुपए प्रतिमाह<br>ऋण पेंशन या पिछला प्राप्त वेतन, जो भी अधिक हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को प्राप्त सुविधाओं के समान सुविधाएँ |
| पंजाब | ५ वर्ष | ६४ वर्ष | कार्यरत या सेवा-निवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या वित्तीय आयुक्त या राज्य सरकार के मुख्य | वेतन : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन के बराबर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आयुक्त के बतौर न्यूनतम दो वर्षों का सेवा काल | |
| तमिलनाडु | ५ वर्ष | (दो लगातार ६२ वर्ष कार्यकालों के लिए नियुक्ति संभव) | न्यूनतम : सरकारी सचिव के पद के बराबर | वेतन : उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन के बराबर। |
| उत्तर प्रदेश | ५ वर्ष | ६५ वर्ष | न्यूनतम : भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के बराबर या जिला न्यायाधीश या मंडलीय आयुक्त या वरिष्ठ सचिवालयीन प्रशासनिक पद पर कार्यरत रहा हो | वेतन : पितृ विभाग में मिलने वाले वेतन के बराबर |
| पश्चिम बंगाल | ५ वर्ष | ६५ वर्ष | राज्य या केंद्र सरकार के किसी प्रशासनिक पद पर के मामलों में पर्याप्त अनुभव | वेतन : ८,००० रुपए प्रतिमाह(पुराना वेतनमान)ऋण पेंशन |

स्रोतःपंचायती राज संस्थाओं तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर कार्यरत समूह की रिपोर्ट,योजना आयोग/पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नवंबर 2006

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट : www.isst-india.org फोन : 91-11-24647873, 24653780

# उमा प्रचार

वर्ष 10 अंक 42

जुलाई से सितंबर 2008

**घर से पंचायत तक**

अलका आर्य

**एक गाँव की कहानी**

मेधा

**पंचायत समाचार**

पंचायती राज अधिनियम को लागू हुए 15 वर्ष हो चुके हैं। इस अधिनियम में संशोधन कर के महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण के बाद लगभग तैंतीस हजार महिलाओं ने राजनीति में प्रवेश किया। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों ने तो महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ में तो पचास प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दो कार्यकाल के लिए की गई है। चौदह साल पहले और आज की तुलना करें तो महिलाओं की राजनीति में इस नई भूमिका का फर्क केवल आँकड़ों में ही नहीं झलकता, बल्कि यह फर्क गुणात्मक भी है।

महिलाओं के 15 वर्ष के इस राजनैतिक सफर की सफलता–असफलता के बारे में बता रही हैं – अलका आर्य।

महिलाओं की सफलता का एक ताजा उदाहरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गाँव सुल्तानठेर का। सन् 2004 में विदेशी देवी सुल्तानठेर मोहम्मदपुर गाँव की सरपंच चुनी गईं। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने अपने पूरे गाँव को रौशन कर दिया। उनकी इस सफलता में गाँव वालों का सहयोग और प्रबल इच्छाशक्ति भी शामिल है, तभी सरकारी योजनाओं का यहाँ सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सका है।

बच्चों से लेकर वृद्धों तक अनुशासित इस गाँव की कहानी सुना रही हैं – मेधा।

इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की पंचायती राज संबंधित छुटपुट खबरें भी प्रस्तुत हैं।

केवल निजी वितरण के लिए

# घर से पंचायत तक

## अलका आर्य

**डेढ़ दशक पहले जब महिलाओं को पंचायती हक मिला तो उम्मीद से ज्यादा आशंकाएँ थीं। माना जा रहा था कि वे तो सिर्फ रबर स्टैंप की तरह काम करेंगीं। लेकिन वक्त बीतने के बाद यह साबित हो गया है कि कई इलाकों में वे महिला सशक्तीकरण की नई कहानी लिख रही हैं।**

महिलाओं के हक की पुरजोर वकालत करने के बावजूद पुरुष नेताओं का रवैया भेदभाव भरा रहा है। संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण संबंधी विधेयक का हमेशा उपहास उड़ाया गया। सामाजिक–राजनैतिक विचारधारा के संदेशवाहक नेताओं ने इस गंभीर विषय को तमाशे में तब्दील कर दिया। इन नेताओं की मंशा नई–नई दलीलें पेश कर एक दशक से भी पुराने इस विधेयक को लंबे समय तक अधर में लटकाने की रही है। एक छोर पर महिला आरक्षण के मामले पर नकारात्मक अड़ियल रवैया अपनाने वाले ऐसे राजनेता हैं, तो दूसरे छोर पर महिला आरक्षण के प्रबल पक्षधर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर हैं। अय्यर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाले न्यूनतम एक तिहाई आरक्षण की अवधि पाँच से दस या पंद्रह साल तक बढ़ाने के हक में हैं और उन्होंने अपनी इस मंशा को बीते दिनों सार्वजनिक रूप से जाहिर भी कर दिया।

श्री अय्यर का महिला आरक्षण की अवधि को बढ़ाए जाने की वकालत करने की एक वजह महिला आरक्षण पर किए गए शोध अध्ययन और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री होने का अनुभव भी है। 1994 में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम में संशोधन कर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था के बाद लगभग 33 हजार महिलाएँ चुनी गईं। आरक्षण से पहले निर्वाचित महिलाओं की संख्या 4.5 प्रतिशत थी, आरक्षण के बाद पच्चीस से चालीस प्रतिशत तक पहुँच गई। आज चौदह साल बाद की स्थिति यह है कि इस समय देश भर में निर्वाचित छब्बीस लाख पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग नौ लाख पचहत्तर हजार महिला प्रतिनिधि हैं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या बाकी दुनिया में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से भी ज्यादा है। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण की है।

छत्तीसगढ़ में पचास प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दो कार्यकाल के लिए की गई है। वैसे तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है। लेकिन पंचायती राज रपट 2006–07 के अनुसार महिलाओं की कुल भागीदारी सैंतीस प्रतिशत के आँकड़े को पार कर औसतन सैंतीस प्रतिशत तक पहुँच गई है। चौदह साल पहले और आज की तुलना करें तो फर्क सिर्फ आँकड़ों का ही नहीं झलकता, बल्कि यह फर्क गुणात्मक भी है। ये निर्वाचित महिला प्रतिनिधि सिविल समाज के राजकाज संबंधी अपने अनुभवों को राज्य के राजकाज संचालन में भी ले आई हैं। इस तरह वे राज्य को गरीबी, गैर–बराबरी व लैंगिक अन्याय सरीखे मुद्दों के प्रति संवेदनशील बना रही हैं। इस व्यवस्था ने महिलाओं की खुद के बारे में सोच बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। वे भीतर से सशक्त हुई हैं और उन्हें पता चल गया है कि संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए सशक्तीकरण की राह आसान हो जाती है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अनुसार पंचायती राज की सबसे बड़ी सफलता महिलाओं का राजनैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त होना है, जो आधुनिक युग में विश्व इतिहास की अनोखी मिसाल है। देश के पश्चिम बंगाल राज्य के बाँकुरा जिले की एक कौंसिल पंचायत प्रधानमंत्री के महिला सशक्तीकरण के इस दृष्टिकोण को और मजबूत करती है। पंद्रह सदस्यों वाली इस कौंसिल पंचायत ने अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले बाईस गाँवों में जो सामाजिक बदलाव लाया है, उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। पंद्रह प्रायमरी स्कूलों की पक्की इमारत बनवाई हैं और चौदह साक्षर केंद्र भी खुलवाए हैं। इन महिला पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि हमारी ताकत शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक है।

राजस्थान के सरवरी गाँव की सरपंच दुर्गा देवी मेहतर समुदाय से हैं। दुर्गा देवी ने सरपंच बनने के बाद भी सड़क–गलियाँ साफ करने का काम नहीं छोड़ा है। क्योंकि वे अपने इस काम को कमतर या हीनभाव से नहीं देखती, बल्कि उसका सम्मान करती हैं। वह दोपहर तक सफाई कर्मचारी की हैसियत से काम करती हैं। फिर उसके बाद

सरपंच की भूमिका में आ जाती हैं। दुर्गा देवी ने शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए अपने गाँव के हर बच्चे को स्कूल भेजने का काम किया, क्योंकि शिक्षा कमजोर को ताकतवर बनाती है।

पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिलाएँ नेतृत्त्व, गुण और नारीवादी सोच के जरिए राजकाज में बदलाव ला रही हैं। इनके पास स्थानीय विकास की दिशा निर्धारण करने और प्रशासकीय शक्तियों के साथ–साथ फैसलों को लागू करवाने और उन पर निगरानी संबंधी शक्तियाँ भी हैं। ये महिलाएँ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं। मुख्य बात यह है कि गाँव की स्थानीय सभा में महिलाओं द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे 1995 में कोपनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन की थीम से ही जुड़े हुए हैं। तेरह साल पहले आयोजित इस शिखर सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा जैसे बाल, वृद्धों और विकलाँगों के लिए कल्याण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और विकास सरीखे सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई थी। भारत में ग्रामीण महिला प्रतिनिधि इस ग्लोबल थीम को स्थानीय स्तर पर नीतियों व कार्यक्रमों में तब्दील करने में लगी हुई है।

देश के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री मणिशंकर अय्यर का मानना है कि लघु गणराज्य में सुशासन की रफ्तार और विस्तार जोर पकड़ सकता है, अगर महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि पाँच से दस या पंद्रह साल कर दी जाए। अय्यर का आरक्षण वाला यह सुर एक सर्वेक्षण में भी सुनाई पड़ता है। पंचायती राज मंत्रालय ने देश में पंचायतों का पहला देशव्यापी सर्वेक्षण कराया। यह सर्वेक्षण खासकर, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की स्थिति पर केंद्रित है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि पहली बार चुनी गई 85.8 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने आरक्षण के जरिए ही राजनीति में प्रवेश किया। अनुसूचित जाति–जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे उपेक्षित वर्गों की 88 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधि आरक्षण की वजह से इस क्षेत्र में आ पाईं।

लेकिन आरक्षण के जरिए पहली बार जीतने वाली इन महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या एस समय केवल 14.3 प्रतिशत रह जाती है जब वे दूसरी या तीसरी बार गैर आरक्षित कोटे से चुनाव लड़ती हैं। महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या में इस गिरावट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री अय्यर ने महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण की अवधि पाँच से दस या पंद्रह साल तक बढ़ाने की अनुशंसा की है। उनका मानना है कि महिलाएँ पंचायतों में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। पंचायती राज के आगे बढ़ने से महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है। लेकिन उसे आरक्षण का लाभ अधिक समय तक दिया जाए तो जमीनी स्तर की इस राजनीतिक सामाजिक क्रांति से गाँव की जनता की तकदीर और गाँव के विकास को एक नया चेहरा जल्दी ही मिल सकता है। इस सर्वेक्षण में आरक्षण की वकालत करते हुए कहा गया है कि आरक्षण महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का एक अवसर है। आरक्षण उन्हें आम जनता के साथ बातचीत करने और अपनी छवि के विस्तार का एक मंच प्रदान करता है। लेकिन अगर वे दोबारा चुनाव जीतकर अपनी राजनैतिक सक्रियता को बनाए रख सकती हैं तो यह अधिक अर्थवान होगा। ऐसा इसीलिए कि अक्सर पहली बार चुनी गई महिला पंच सदस्य में शिक्षा और अनुभव की कमी होती है, यह उसके सीखने का दौर होता है।

इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि आरक्षण से पंचायती राज के दुर्ग में दाखिल हुआ जा सकता है। लेकिन आरक्षण कामकाज को आँकने का निर्धारक नहीं है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित होने वाला उम्मीदवार सामान्य चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार से अलग तरीके कामकाज नहीं करता। कामकाज आँकने के कुछ तो निर्धारक हैं, जिनके आधार पर मूल्याँकन किया जाता है। महिलाओं के संदर्भ में पता चला कि उम्र, शिक्षा, प्रशिक्षण और पंचायती राज व्यवस्था में आने से पहले की सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियाँ अपना असर छोड़ती हैं। 21–35 आयु वर्ग की आठवीं या ज्यादा शिक्षित और राजनैतिक अभियान से जुड़ी या सामुदायिक स्तर पर विभिन्न कार्यों से जुड़ी महिला प्रतिनिधि अधिक प्रभावशाली पाई गई। पंचायती व्यवस्था संबंधी प्रशिक्षण हासिल करने वाली महिलाओं का कामकाज बेहतर पाया गया। सर्वेक्षण में जिन महिला पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की गई उनमें से तीन प्रतिशत ने माना कि उन्हें अपनी पंच की भूमिका निभाने में परिवार के सदस्यों ने मदद की है। यानि उनकी घरेलू जिम्मेदारियाँ कुछ कम हुईं। उन्होंने घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल में खर्च होने वाले वक्त में कटौती कर ग्राम विकास के कामों को समय दिया। एक

तरफ घरेलू मोर्चे पर परिवार निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों की घरेलू जिम्मेदारियों को बाँट कर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन और राजनीति ने घरेलू सहयोग जैसा वातावरण नहीं दिया है। इस सबके बाद भी निर्वाचित महिला पंच प्रतिनिधियों ने खुद को मिले अधिकारों का सम्मान रखा है। इस सम्मान की रक्षा की खातिर कई प्रतिनिधियों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी है।

अक्सर उन पर पति का पिछलग्गू, रबर स्टैंप होने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन जब कुछ महिला रबर स्टैंप होने का विरोध करती हैं तो उनके साहसी और सराहनीय कदमों की खबरें बाहर इन लोगों तक नहीं पहुँचती या रुकवा दी जाती है। पंजाब की महिला पंचों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपने राज्य के पंचायत मंत्री से शिकायत की कि उनका विभाग पतियों और परिवार के पुरुष सदस्यों की दखलंदाजी रोकने में उनका साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने माँग की कि पंचायत की बैठकों में उन गैर सदस्यों के आने पर रोक लगा दी जाए।

निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधियों में एक अलग आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की ऊर्जा प्रवाहित हुई है। खासतौर पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लातूर जिले के वाडमल नागनथ से वर्ष 2006 में चुनी गई दलित महिला मायादेवी का कहना है कि पंचायत चुनाव जीतने के बाद उसके भीतर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास पैदा हुआ है। लड़कियों के लिए शिक्षा उसकी प्राथमिकता बन गई और उसके जीवन स्तर में सुधार हुआ। महाराष्ट्र में निर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधि अन्य मराठी महिला प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक जागरूक और राजनैतिक तौर पर सक्रिय हैं। यहाँ की दलित और आदिवासी महिलाएँ पंचायती राज व्यवस्था के इस संवैधानिक अवसर का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहीं हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ जाति व्यवस्था बहुत मजबूत है, वहाँ उच्च जाति के पुरुष इन दलित, आदिवासी महिलाओं को बाहर करने के लिए कई दाँव–पेंच अपनाते हैं। लेकिन उन हिम्मती औरतों ने हारना नहीं सीखा।

मुंबई स्थित महाराष्ट्र महिला राजसत्ता आंदोलन का गठन आज से आठ साल पहले किया गया था और आज निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की इस संस्था के दो हजार यानि सत्तर प्रतिशत सदस्य दलित महिलाएँ हैं।

कर्नाटक की लखानी, बिहार की वीणा, हिमाचल प्रदेश की चंदरमणि नेगी और त्रिपुरा की रीना नामक चार महिला पंचायत प्रतिनिधि पिछली पच्चीस अप्रैल को दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मंच पर मौजूद थीं।

कर्नाटक के सुनडिरी गाँव की पंचायत मुखिया पचास वर्षीय लखानी न हिंदी जानती है और न अँग्रेजी। लेकिन मंच पर उसका आत्मविश्वास बोल रहा था। बिहार के नवादा जिले के लोहरपुरा गाँव की वीणा देवी लगातार दो बार पंचायत की मुखिया चुनी गई हैं। बारह वर्ष की उम्र में शादी और सोलह वर्ष की उम्र में विधवा होने वाली इस महिला ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी संघर्ष किया। वीणा अपने गुजरे कल के बारे में बताती हैं– पहली बार जब चुनाव में खड़ी हुई तब गाँव के पुरुषों ने ताना मारा, तुम खुद को क्या समझती हो, इंदिरा गाँधी। वीणा देवी बताती हैं कि एक समय यह था कि ग्राम सभा में महिलाएँ नज़र नहीं आती थीं। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। ग्राम सभा में महिलाओं का वर्चस्त रहता है। मेरी इच्छा है कि आगामी चुनाव में मेरी जगह कोई महिला ही ले।

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला कौंसिल की अध्यक्ष की अध्यक्ष चंदरमणि नेगी ने अपने इलाके के पुरुषों को बता दिया है कि महिलाए बहुत कुछ कर सकती हैं। 59 वर्षीय यह महिला प्रतिनिधि दहेज के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं और पक्की सड़कें बनवाने का काम कर रही हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की रीना भी गाव कौंसिल की अध्यक्ष हैं और पुरुषों की अधिक परवाह नहीं करतीं। महाराष्ट्र ठाणे जिले की आदिवासी महिला अनिता रामू एक अमीर जमींदार के यहा बधुआ मजदूर के रूप में बेच दी गई है। श्रमजीवी नामक स्थानीय गैर–सरकारी संगठन ने अनिता को जमींदार से आजाद करवाया, फिर पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए उसे प्रोत्साहित किया। वह चुनाव जीत गई। इस जीत के बाद उसने अपने क्षेत्र के लिए काम भी किया और एक मिसाल बनीं। बेबी बालकृष्णन, जो आज सांसद हैं, ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत पंचायती राज से ही की थी। सबसे पहले मंडल की अध्यक्ष चुनी गईं, फिर विधायक बनीं और अब सांसद हैं।

**जनसत्ता से साभार**

## पंचायती सफर

1946 में संविधान सभा के एक सौ पचास सदस्यों में सोलह महिलाएँ थीं

1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रपट ने पंचायती राज की स्थापना की, पृष्ठभूमि तैयार की और इस रपट में महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याण कार्य करने वाली दो महिलाओं को समायोजित करने पर विचार करने की बात कही गई थी।

1961 में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि अगर पंचायत इकाईयों में महिला चुनाव के जरिए नहीं पहुँचती हैं तो एक या दो महिलाओं को मनोनीत किया जा सकता है।

1973 में पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम में भी दो महिलाओं को समायोजित करने का प्रावधान किया गया।

1976 में महिलाओं की स्थिति पर गठित कमेटी ने अपनी रपट में सरकार में पंचायत में महिला प्रतिनिधियों की माँग के साथ–साथ ग्रामीण स्तर पर सर्व महिला पंचायत की स्थापना की माँग भी रखी थी।

## कहानी एक गाँव की

### मेधा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट से आगे एक गाँव आता है– सुल्तान ठेर। सड़क से एक किलोमीटर अंदर का यह गाँव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव की तरह ही है। यहाँ की तकदीर एक महिला ने सँवारी है। उम्र की चार दहाई पार कर चुकी इस महिला को लोग विदेशी देवी के नाम से जानते हैं।

विदेशी देवी चार साल पहले सुल्तानठेर मोहम्मदपुर पंचायत क्षेत्र की सरपंच चुनी गईं। सरपंच के इस पद ने जितना विदेशी देवी की किस्मत को चमकाया उससे कहीं ज्यादा सुल्तानठेर को। शिक्षा की लौ से उसने अपने गाँव की जिंदगी में रौशनी जगा दी।

सुनहरी बालियों वाले गेहूँ की झूमती फसल के खेतों से सटा सुल्तानठेर पंचायत का प्रायमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, आँगनबाड़ी और खेलशाला एक ही परिसर में हैं। परिसर के द्वार पर एक लोहे का बड़ा फाटक लगा हुआ है। फाटक के रंग–रोगन को देखते हुए लगता है जैसे हाल ही में यह विद्यालय की शोभा बना है। गेट में दाखिल होने पर बाईं ओर नज़र आता है – एक पक्का रसोईघर। इस रसोईघर में मिड–डे मील योजना के अंतर्गत विद्यालय के बच्चों के लिए भोजन पकाया जाता है। दाहिनी ओर दो पक्की कोठरियाँ हैं। पहले में खेलशाला है। इनमें से एक शिक्षिका लगभग तीस बच्चों के साथ मौजूद थीं। इन बच्चों में कुछ की उम्र अभी प्रायमरी स्कूल जाने की नहीं हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे थे जो समय पर प्रायमरी स्कूल में दाखिला नहीं ले सके तो अब यहाँ कुछ सीख कर आगे स्कूल में जाना चाहते हैं। साथ वाला कमरा आँगनबाड़ी कार्यक्रम का है।

कुल पाँच सौ बच्चे इस परिसर में पढ़ते हैं। इनमें तीन सौ अट्ठाईस बच्चे प्रायमरी स्कूल के छात्र हैं। बच्चों की इस बड़ी तादाद में एक सौ उनहत्तर बालिकाएँ हैं और एक सौ उनसठ बालक। शेष जूनियर हाई स्कूल के छात्र हैं। सुलतानठेर का प्रायमरी स्कूल 2001 में बना और 2006 में बना जूनियर हाई स्कूल। यहाँ का सुंदर शैक्षणिक वातावरण इस बात की पुष्टि करता है कि अगर सरकारी योजनाओं में लोगों की इच्छाशक्ति मिल जाए तो सचमुच ही कमाल हो सकता है। सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े अवकाश प्राप्त शिक्षक कृपाल सिंह बताते हैं कि प्रायमरी स्कूल खोलने की जिम्मेदारी के साथ सन् 2001 में एक अध्यापक को सुल्तानठेर भेजा गया। यहाँ पहले से ही दो प्रायवेट प्रायमरी स्कूल चल रहे थे। पहले दिन स्कूल में दो बच्चे आए। लेकिन उनकी इच्छाशक्ति से एक हफ्ते में स्कूल में बच्चों की संख्या सत्तर हो गई। कृपाल सिंह कहते हैं कि स्कूल की किस्मत चमकनी शुरू हुई 2004 में जब इस गाँव में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और विदेशी देवी सरपंच चुनी गई। उनके ही प्रयास से यहाँ 2006 में जूनियर हाई स्कूल खुल सका।

जूनियर हाई स्कूल और प्रायमरी स्कूल के शिक्षकों के अलावा, गाँव वालों का भी यह कहना है कि विदेशी देवी के प्रधान बनने के बाद से ग्राम शिक्षा समिति अपनी सारी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभा रही है। आम तौर पर ग्राम शिक्षा समिति से जिन बातों के लिए सहयोग की

उम्मीद की जाती है, उनमें से कुछ हैं – शिक्षक उपस्थिति, पुस्तकालय संचालन, बाल गणना और नामांकन, अध्यापन और विद्यालय संबंधी अन्य समस्याओं के समाधान में सहयोग, विद्यालय की सुरक्षा, सरकार से प्राप्त पाठ्यपुस्तकों और पोशाक का वितरण, परिसर स्वच्छता, छात्रवृत्ति का वितरण, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण और दोपहर भोजन का इंतजाम।

ब्रजसिंह पाल बताते हैं कि यहाँ के बच्चे इतने अनुशासित हैं कि कोई भी बच्चा विद्यालय परिसर से एक फूल तक नहीं तोड़ता। भला ऐसा क्यों न हो ? जिन बच्चों ने अपने पसीने और परिश्रम से खुद ही इस परिसर को सजाया हो, वे क्यों इस परिसर को अपने हाथों से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे ? गाँव वाले भी इन बच्चों के मनोभाव की कद्र करते हुए इस परिसर की जानवरों से रक्षा करते हैं।

लेकिन इस सुंदर शैक्षणिक वातावरण में पल रहे बच्चों की आगे की पढ़ाई का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। आठवीं के बाद क्या ? आठवीं के बाद अधिकांश बच्चे करीबी कस्बे गजरौला के ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में दाखिला ले पाते हैं। कुछ के पास तो साधन ही नहीं हैं। जिन अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे भी नैशनल हाइवे पर चलने वाले वाहनों के कारण दुर्घटना के भय से बच्चों को गजरौला पढ़ने के लिए नहीं भेजते। खासतौर से लड़कियों के लिए आठवीं के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखना असंभव है। जहाँ ग्यारह–बारह साल की उम्र में ही बच्चों की शादी होती रही हो, वहाँ इस उम्र की लड़कियों को गाँव के बाहर पढ़ने के लिए भला कोई क्या भेजेगा !

लेकिन सुल्तानठेर के गाँववाले अभी निराश नहीं हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि विदेशी देवी जरूर यहाँ बारहवीं तक का विद्यालय खुलवाने में सफल होंगी। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गजरौला प्रखंड में बेहतरीन काम करने वाले समन्वयक पृथी सिंह और सेवानिवृत शिक्षक कृपाल सिंह भी गाँववालों के इस सपने को साकार करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।

**जनसत्ता से साभार**

## उनका कसूर क्या था ?

नीता रानी को तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा। बाद में पता चला कि जिस अपराध में उन्हें जेल हुई, वह उन्होंने किया ही नहीं। नीता रानी उत्तर प्रदेश राज्य की एक ग्राम पंचायत की प्रधान हैं। अब वे पूछ रही हैं, निर्दोष होने पर भी इतने दिन जेल में रखा इसका जिम्मेदार कौन है ? प्रशासन चुप है।

घटना पिछले वर्ष अक्टूबर की है। उत्तर प्रदेश राज्य की ग्राम पंचायत चौधरपुर की है। यहाँ के स्कूल में दोपहर का भोजन खा कर 70 बच्चे बीमार हो गए। प्रशासन ने पंचायत की ग्राम प्रधान नीता रानी, उनके पति बाबू सेन, स्कूल के प्रधानाध्यापक नौबत सिंह, शिक्षक मुबारक हुसैन और खाना बनानेवाली मिथिलेश के खिलाफ केस दर्ज किया। उन्हें जेल भेज दिया गया। सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। कढ़ी–चावल के नमूनों को जाँच के लिए लखनऊ शहर की सरकारी प्रयोगशाला में भेजा गया। 4 दिसंबर को प्रयोगशाला ने बताया, खाना शुद्ध था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। जाँच करने वालों को इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने चंडीगढ़ शहर की प्रयोगशाला में दोबारा जाँच करवाई। इस प्रयोगशाला ने भी खाने के नमूनों को सही पाया। आखिरकार निर्दोष लोगों को छोड़ना पड़ा।

अब नीता रानी सरकार से पूछ रही हैं कि निर्दोष होते हुए भी उन्हें तीन महीना जेल में बंद रखा गया, इसका जिम्मेदार कौन है ? प्रशासन चुप्पी लगा कर बैठा है। अंदर ही अंदर रिपोर्टों को दबाने की कोशिश चल रही है। सरकार दोनों तरफ नाकामयाब रही। न तो वह यह पता लगा पाई कि इतने सारे बच्चे बीमार पड़े तो किस कारण से। कारण पता चलता तो बचाव का उपाय भी सोचा जाता। बीमारी की वजह पता लगाए बिना ही निरपराध लोगों को गिरफ्तार कर लेना, सरकारी तंत्र की सबसे बड़ी कमी है।

गाँव प्रधान को इस मामले में गिरफ्तार करना तो और भी बड़ी गलती है। प्रधान जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। उनके साथ मिलकर ही जाँच की जानी थी। किसी भी विधायक की गिरफ्तारी से पहले विधान सभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है। पंचायत प्रधान की गिरफ्तारी पर पंचायत राज विभाग के सचिव को बताना होता है।

क्या उन्हें बताया गया ? यदि हाँ, तो उन्होंने क्या किया, यह जानना भी जरूरी है। सरपंचों, प्रधानों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, यह तय करना बहुत जरूरी हो गया है।

**उजाला छड़ी से साभार**

## हरियाणा : किसी पर कोई मुकदमा नहीं

हरियाणा राज्य में ऐसा कोई गाँव या शहर नहीं है, जहाँ पुलिस ने कभी न कभी मुकदमा दर्ज नहीं किया हो। लेकिन भिवानी जिले के आदमपुर डाढ़ी गाँव में पुलिस को आज तक जाने का मौका नहीं मिला। इसे सरकार की ओर से आदर्श गाँव का दर्जा मिला ही है, अपने कामों के द्वारा भी उसने अपनी यह पहचान बनायी है। यहाँ आज तक किसी ने झगड़ा नहीं किया। अगर किसी का झगड़ा हुआ भी है तो उसे पंचायत के स्तर पर सुलझा लिया गया है। यहाँ के लोग पंचायत द्वारा किए गए फैसले पर अटल रहते हैं और उन मामलों को वहीं समाप्त कर देते हैं। दो हजार जनसंख्या वाले इस गाँव में लगभग सात सौ घर हैं। इस गाँव ने कबड्डी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। यहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान कबड्डी खेलते हैं। लड़कियाँ भी कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कुश्ती में भारत का नेतृत्त्व यहीं के निवासी विकास व सुखवीर करते हैं।

**साभार : दैनिक ट्रिब्यून, 25 सितंबर 08**

## मध्य प्रदेश : स्वच्छ वातावरण के लिए निर्मल वाटिका योजना प्रारंभ

भोपाल खंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्मल वाटिका योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत घरों के आस–पास बगीचों तथा सरकारी भूमि पर बहु–उपयोगी फलदार वृक्ष लगाए जाएँगे तथा शौचालयों से जैव खाद बनाई जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार नीम, आँवला, अमरूद आम, केला, पपीता आदि जैसे पाँच बहु–उपयोगी फलों के पौधे लगाएगा और इन पौधों को उगाने के लिए आवश्यक जैव–खाद के निर्माण के लिए हर शौचालय के साथ एक गड्ढे का निर्माण किया जाएगा। निर्मल वाटिका उप–योजना का क्रियान्वयन ग्राम जल और स्वच्छता कमेटी द्वारा किया जाएगा।

ग्राम जल और स्वच्छता कमेटी एक सह अभियंता के साथ मिल कर गड्ढों और शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पास भेजेगी। पंचायती राज संस्थाओं के अनुमोदन के बाद यह प्रस्ताव संबंधित ग्राम पंचायत की परियोजनाओं की सूची में शामिल हो जाएगा।

**पं. राज अपडेट से साभार**

## पंचायतों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर

पंचायती राज मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षित युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। 21 से 35 साल की शिक्षित महिलाओं को इन संस्थानों में ज्यादा जगह मिलनी चाहिए ताकि वे गाँवों की विकास योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में योगदान दे सकें। इंडियन विमिन प्रेस कॉर्प (आईडब्ल्यूपीसी) के सम्मेलन में अय्यर ने कहा कि हम चाहते हैं कि पढ़ी–लिखी युवा महिलाएँ गाँवों को विकसित करने का जिम्मा उठाएँ। जमाना बदल रहा है और उसके अनुसार गाँवों में भी बदलाव होना चाहिए।

उन्होंने ने कहा कि पंचायती राज संस्थायें गाँवों के विकास की केंद्र बिंदु होती हैं। गाँवों के विकास का पूरा लेखा–जोखा यही तैयार करती हैं। उनका मंत्रालय इसमें ऐसे प्रतिनिधि चाहता है, जो शिक्षित हों, बदलते दौर में विकास को महत्त्व दें और गाँवों के विकास के लिए आवंटित धन का सही इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हों। ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि परिवार में पुरुषों के साथ महिलाओं का शिक्षित होना जितना जरूरी है, उतना ही गाँवों के विकास में शिक्षित महिलाओं की भागीदारी भी महत्त्वपूर्ण है। अशिक्षित महिलाएँ एक दायरे में बँधकर रह जाती हैं। इसके विपरीत शिक्षित महिलाओं की सोच का दायरा बड़ा होता है और उसी के अनुसार वे काम करती हैं।

आईडब्ल्यूपीसी ने पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के संबंध में एक रिपोर्ट भी अय्यर को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ विकास के मामले में पुरुषों से काफी पीछे हैं। इसका प्रमुख कारण

महिलाओं का शिक्षित न होना है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में यह बात भी सामने आई कि पंचायती राज संस्थानों में शिक्षित महिला प्रतिनिधियों का प्रदर्शन अशिक्षित महिला प्रतिनिधियों से काफी बेहतर रहा। शिक्षित महिला प्रतिनिधियों में आत्मविश्वास का स्तर भी काफी ऊँचा था जबकि अशिक्षित महिला प्रतिनिधियों में आत्मविश्वास का स्तर काफी कम पाया गया। अगर गाँवों में महिलाओं का विकास करना है तो पंचायती राज संस्थानों में शिक्षित महिला प्रतिनिधियों को ज्यादा स्थान देने की जरूरत है।

इस अवसर पर यू.पी. हरियाणा और पंजाब के महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों नें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू करने पर जोर दिया गया। इन प्रतिनिधियों का कहना था कि विकास के मामले में शहरों की तुलना में गाँव पीछे छूट रहे हैं। इस अंतर को कम करने के लिए सरकार व पंचायती राज संस्थानों को पूरा जोर लगाना चाहिए।

**नवभारत टाइम्स से साभार**

## ▪नरेगा के कामों की जाँच के लिए ऑनलाइन नेटवर्क

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन पर प्रभावशाली नजर रखने के लिए ऑनलाइन नेटवर्क की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना माँग आधारित कार्यक्रम है। इस परिदृश्य में ई–ज्ञान नेटवर्क देश भर में इसके कुशल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जिला योजना नियोजकों को आपस में संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाना है। इसके माध्यम से योजना नियोजक अपने अनुभवों और कार्यस्थलों पर रचनात्मकता के बारे में विचार–विनिमय कर सकेंगे। मंत्रालय ने अपना वेब–आधारित डाटा–कोश भी तैयार किया है, जो जॉब कार्ड, मस्टर रोल, रोजगार की माँग और रोजगार की पूर्ति आदि का ध्यान रखेगा।

**पं.रा.अ. से साभार**

## डाकघरों ने बाँटे 29 सौ करोड़ रुपए

डाकघरों के विशाल तंत्र और हर गाँव तक इसकी पहुँच का लाभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों को भी मिल रहा है। डाकघरों से इन मजदूरों को अब तक 29 सौ करोड़ रुपए बाँट गए हैं। यह राशि नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 21 राज्यों के 70 हजार से अधिक डाकघरों में पंजीकृत एक करोड़ 47 लाख खाताधारियों को जारी की गई।

अधिकारियों के अनुसार, पहले यह राशि बैंकों के माध्यम से बाँटी जाती थी, लेकिन बैंकों की सीमित पहुँच और गाँवों से उनकी दूरी की वजह से मजदूरों को उनका पैसा काफी दिनों बाद मिल पाता था। इसे ध्यान में रखते हुए डाकघरों को मजदूरी राशि जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। नरेगा के लिए सबसे अधिक 94 लाख खाते आंध्र प्रदेश के डाकघरों में खोले गए हैं। डाक विभाग अधिकारियों के अनुसार मजदूरों को पैसा और जल्दी तथा सुरक्षित तरीके से मिल सके, इसके लिए एनआईसी और बीएसएनएल के साथ मिलकर विभाग इलेक्ट्रानिक पेमेंट सिस्टम के लिए स्मार्ट कार्ड से तत्काल संबंधित डाक घर के कम्प्यूटर में दर्ज कर देगा। इस सेवा का परीक्षण दिसंबर महीने से उड़ीसा के चुने हुए डाकघरों में किया जाने लगेगा। योजना की सफलता पर इस अन्य डाकघरों में भी लागू किया जाएगा। दूरसंचार राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य स्वयं इस महत्त्वाकाँक्षी योजना की निगरानी कर रहे हैं, जिससे इसे सफल बनाया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार डाकघरों से नरेगा का पैसा देने की योजना वर्ष 2005 में आँध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में योजना के अंतर्गत सितंबर में 43 हजार से अधिक खाते खोले गए और 9,68,290 रुपए बाँटे गए। गुजरात में सितंबर में 81,252 खाते खोलने के साथ 5,47,785 रुपए जारी किए गए। हरियाणा में 510 खाते खोले गए और 4,39,625 रुपए जारी किए गए। मध्य प्रदेश में सितंबर में 44,372 खाते खोलने के साथ 86,81,471 रुपए जारी किए गए।

**दैनिक भास्कर, 12 सितंबर 08 से साभार**

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : **isstdel@isst-india.org**
वेबसाइट : **www.isst-india.org** फोन : 91-11-24647873, 24653780

# उमा प्रचार

वर्ष 10, अंक 43
अक्टूबर से दिसम्बर

## नरेगा : पंचायतों की भूमिका का सवाल

राजकिशोर

## यह तो बस शुरुआत है

बाबूलाल नागा

## मतदान शक्ति से मिली महिलाओं को जीत

निशा नाम्बियार

## पंचायत समाचार

केवल निजी वितरण के लिए

2 फरवरी 2006 को 200 जिलों से शुरू हुई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार अप्रैल 2008 में पूरे देश में हो गया है। देश के कई हिस्सों में इस योजना के सफलता के किस्से पढ़ने–सुनने को मिलते हैं। यह सफलता और दुगनी हो जाती, यदि अधिनियम को ध्यान में रखते हुए योजना का क्रियान्वयन होता। अधिनियम में योजना के क्रियान्वयन और अन्य बहुत–सी जिम्मेदारियाँ पंचायत को सौंपने का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके लिए पंचायतों को न तो संसाधन दिए गये हैं और न उन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण ही दिया गया है जिससे वे नरेगा को सफलता पूर्वक लागू कर सकें। सरपंचों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों को इस अधिनियम के बुनियादी प्रावधानों की जानकारी भी नहीं दी गई है।

हमारे गाँवों को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है नरेगा तथा अन्य कल्याणकारी योजनायें स्थानीय सरकारों के माध्यम से संचालित हों– प्रस्तुत हैं राजकिशोर के विचार।

देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसमें राजस्थान का नाम सबसे आगे है। राजस्थान में चल रही इस योजना के बारे में बता रहे हैं – बाबूलाल नागा।

नरेगा से लोगों का जीवन स्तर ही नहीं सुधरा है, लोगों में जागरूकता भी आई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है धनबाद का कोयला उद्योग। इस योजना से मजदूरों का पलायन भी रुका है। इसमें सबसे ज्यादा सफलता मिली है – बिहार को।
एक तरफ नरेगा के सफलता के किस्से हैं तो दूसरी तरफ इस योजना के कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। नरेगा की इस सफलता–असफलता की भी एक झलक आपको इस अंक में मिलेगी।

## नरेगा : पंचायतों की भूमिका का सवाल
### राजकिशोर

यह बड़े दुख की बात है कि गाँवों में गरीबी हटाने का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग होने के बावजूद नरेगा(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) वह छड़ी बन गया है, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दूसरे महानतम प्रयोग पंचायती राज प्रणाली को पीटा जा रहा है। वास्तव में दोनों ही प्रयोग एक दूसरे के पूरक हैं। पंचायती राज ग्रामीण जन को शक्ति प्रदान करने के लिए है। नरेगा भी उन्हीं की रहन–सहन की स्थिति में सुधार के लिए है। अगर नरेगा को वास्तव में लोकतांत्रिक तथा विकेंद्रित ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा होता यानि इस क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की उचित तथा पर्याप्त भूमिका होती, तो दोनों को ही एक दूसरे से मजबूती मिलती। नरेगा का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होता तथा पंचायतें भी ताकतवर होतीं। यद्यपि नरेगा के अधिनियम में कहा गया है कि इसे क्रियान्वित करने की मुख्य एजेंसी पंचायतें ही होंगी तथा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें ढेर सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन पंचायतों को वे संसाधन प्रदान नहीं किए गए तथा उन्हें यह दक्षता प्रदान नहीं की गई कि वे नरेगा को सर्वोत्तम तरीके से लागू कर सकें। केरल को छोड़ कर प्रायः सभी राज्यों में यह मामूली–सा प्रयास भी नहीं किया गया कि कम से कम सरपंचों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों को नरेगा जैसे अत्यंत जटिल अधिनियम के मूलभूत प्रावधानों से परिचित ही करा दिया जाए।

यह तथ्य विवाद से परे है कि गाँवों में रोजगार की गारंटी देने वाले इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देश भर में बहुत–से निर्धन मजदूरों की औसत आमदनी बढ़ी है, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों–जनजातियों की जिंदगी आसान हुई है, सामाजिक संपत्तियों का सृजन हुआ है और गाँवों में उत्पादकता का स्तर बढ़ा है। नरेगा की सफलता कथाएँ अंतहीन हैं। इससे कौन इन्कार कर सकता है कि इस सफलता के पीछे पंचायतों की सक्रिय भूमिका है ? लेकिन हमारा सरोकार इस बुनियादी मुद्दे से ज्यादा होना चाहिए कि क्या नरेगा स्थानीय शासन की संस्थाओं को वाकई शक्तिशाली बना रहा है ? क्या इससे पंचायतों में मजबूती आई है ?

हम जानते हैं कि लोकतंत्र और विकास में कोई अंतर्विरोध नहीं है। सच यही है कि किसी भी देश में विकेंद्रीकरण की मात्रा जितनी अधिक होगी, तृणमूल स्तर पर लोगों का सशक्तीकरण उतना ही अधिक होगा और निर्धन तथा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए चलाई गई परियोजनाएँ उतनी ही ज्यादा सफल होंगी। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को शक्ल देने वालों का असली इरादा यही नहीं था – उनके द्वारा किए गए इस दावे के बावजूद कि यह योजना 'गरीबों की, गरीबों के लिए और गरीबों के द्वारा' है, इसीलिए इसके क्रियान्वयन की जमीनी प्रक्रिया में पंचायतों को दरकिनार कर दिया गया है या जहाँ उन्हें शामिल किया गया है, वहाँ भी केवल नाम के वास्ते ही शामिल किया गया है। सर्वाधिक चिंताजनक बात तो यह है कि इस पूरी प्रक्रिया पर पंचायतों का कोई नियंत्रण नहीं है। ग्राम सभाएँ अभी भी सुप्त सिंह बनी हुई हैं। इस प्रकार पंचायती राज की महत्त्वाकाँक्षी परियोजना कर्मचारी तंत्र की कठपुतली बना दी गई है। बीडीओ सरपंच से बड़ा बन गया है।

लेकिन जब विफलताएँ सामने आती हैं, तो उनका सारा दोष पंचायतों के मत्थे मढ़ दिया जाता है। यह मानने में हमें कोई संकोच नहीं है कि पंचायतों में उच्च कोटि का आदर्श वाद दिखाई नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले ढेरों हैं। सभी सरपंच जनता की सेवा करने की भावना से संचालित नहीं हैं। निश्चय ही इस दुरवस्था की आंशिक जिम्मेदारी वर्तमान माहौल पर है जिसमें रिश्वत, हिस्सा और कमीशन का बोलबाला है। इसका कुछ न कुछ असर पंचायत प्रतिनिधियों पर पड़ना ही है। लेकिन इसका इलाज यह नहीं है कि तृणमूल स्तर पर विकेंद्रीकरण में कटौती कर दी जाए या पंचायती राज संस्थाओं को दरकिनार कर दिया जाए। इलाज यह है कि इन्हें और शक्तिशाली बनाया जाए। सच तो यह है कि नरेगा ने कलेक्टर राज और बीडीओ राज को ही मजबूत बनाया है और

पहले ही से अवमूल्यित पंचायतों को फालतू बना दिया है। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि कर्मचारी तंत्र के अंतर्गत काम करें और उनसे आदेश–निर्देश लें, यह कहाँ का लोकतंत्र है ? इस परिदृश्य में भारत में स्थानीय लोकतंत्र का भविष्य क्या है ? यह उचित समय है कि पंचायती राज में जिनकी आस्था है वे एकत्रित हो कर इन सभी मुद्दों पर विचार–विमर्श करें तथा नरेगा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को ऐसा स्वरूप दें जिससे वे शक्तिशाली तथा प्रभावपूर्ण स्थानीय सरकारों के माध्यम से ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के औजार बन सकें।

**पं.रा.अ. से साभार**

## यह तो बस शुरुआत है
## बाबू लाल नागा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) के क्रियान्वयन में राजस्थान इस बार सफल रहा है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र ने भी राज्य सरकार की सराहना की है। राजस्थान में नरेगा ने लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया है। अप्रैल माह से राजस्थान के सभी जिलों में नरेगा लागू होने से लोगों को अपने ही गाँव में रोजगार मिल रहा है। विशेषकर उन ग्रामीण महिलाओं को, जो अपने घर की जिम्मेदारियों के कारण गाँव से बाहर मजदूरी करने नहीं जा पाती थीं। राजस्थान के अति पिछड़े और आदिवासी जिलों की महिलाओं ने तो इस योजना में सिर्फ साल भर में ही एक हजार करोड़ से ज्यादा कमाकर देश में इतिहास रचा है। राजस्थान में पिछले साल नरेगा के अंतर्गत 1,477 करोड़ रुपए का भुगतान जिन लोगों को किया गया है, उनमें से 69 प्रतिशत महिलाएँ ही हैं, अन्य राज्यों में यह प्रतिशत मात्र बयालीस ही है।

लोगों ने इस योजना में जल संरक्षण पर जोर दिया है। राज्य में जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण से भूजल स्तर में वृद्धि हुई है। इससे पीने के पानी और सिंचाई की सुविधायें बढ़ी हैं। कुँओं में जलस्तर बढ़ने से राज्य सरकार को कुएँ खोदने पर लगी रोक हटानी पड़ी है। इसी प्रकार भूमि संरक्षण, सूखा और बचाव कार्य, पौधा रोपण, तालाबों, पोखरों की गाद सफाई, गाँव की सड़कों और नालियों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत हुआ है।

राजस्थान में इस योजना के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन का यह भी एक प्रमाण है कि देश में सबसे अधिक जॉब कार्ड राजस्थान में ही बने हैं। इनकी संख्या करीब 78 लाख 13 हजार है। इसके अलावा राज्य में इस योजना के अंतर्गत अब तक सत्तर लाख डाकघर बचत खाते खोले जा चुके हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में डाकघर बचत खाते खोलने में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान रहा है। दूसरी तरफ, राजस्थान सरकार ने इस योजना के माध्यम से अगस्त 2008 तक 44 लाख 22 हजार ग्रामीण श्रमिकों को काम उपलब्ध करवाया है। इसमें चार लाख लोगों को सौ दिन और कम से कम बावन दिन रोजगार दिलाने वालों में भी राजस्थान सबसे आगे रहा है। राज्य के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय औसत से तीन गुना 126 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत व्यय किए गए हैं। देश में राजस्थान ही पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ इस योजना में सौ दिन का रोजगार पूरा करने वाली महिलाओं को अमृता देवी विश्नोई योजना में सम्मान स्वरूप साड़ी या घाघरा–ओढ़नी दिया जा रहा है।

राजस्थान में रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में इस सफलता के बाद भी बहुत काम बाकी है। अभी भी इस योजना में कई खामियाँ हैं, जिससे यह योजना राजस्थान में अपने मूल स्वरूप से भटकती नजर आती है। विभिन्न जन संगठनों द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण बताते हैं कि किस तरह से इस योजना में गड़बड़ घोटाले किए गए। हाल ही में झालावाड़ जिले के झुमकी ग्राम पंचायत में इस योजना के अंतर्गत लाखों रुपए का घपला पकड़ा गया। जॉब कार्ड के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पाई गई तो मस्टर रोल के नामों में जम कर कटाई–छँटाई की गई। इसी प्रकार झालावाड़ जिले के ही पून्याखेड़ी गाँव में लोगों के जॉब कार्ड बनवाने के लिए सरपंच और सचिव ने पैसे तक ले लिए। बाँसवाड़ा जिले में तो सामाजिक अँकेक्षण के लिए सूचना लेने गए सामाजिक कार्यकर्ताओं को लाठियाँ खानी पड़ीं। प्रशासन ने उन्हें सूचना देने से ही इन्कार कर दिया, जबकि वही प्रशासन और सरकार आज रोजगार गारंटी में राजस्थान के प्रथम आने पर फूला नहीं समा रहा है। ऐसे में

सवाल यह भी आता है कि आखिर कैसे राजस्थान को पूरे देश में अग्रणी माना जाए ?

इन सवालों का जवाब ढूँढना बहुत जरूरी है। नरेगा के कार्यों में पारदर्शिता बरतने के लिए अभी सरकार को और भी मुस्तैदी से कार्य करने की जरूरत है, जिससें राजस्थान राज्य इस योजना में सचमुच अग्रणी रहे।
सबसे पहले राज्य ग्रामीण विकास विभाग को और भी कुछ कदम उठाने होंगे। इस योजना से जुड़े प्रशासनिक तंत्र को चुस्त–दुरुस्त करते हुए योजना के प्रमुख रिक्त पदों को शीघ्र भरना होगा, क्योंकि जिला परिषदों में रिक्त चल रहे इन पदों से योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। इस योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए सौ दिन के साथ–साथ राज्य सरकार को अपने खर्च पर पचास दिन के अतिरिक्त काम की गारंटी देनी चाहिए, ताकि लोगों को एक साल में सौ दिन की बजाय डेढ़ सौ दिन के काम की गारंटी मिले। आदिवासी इलाकों में काम की गारंटी के दिन बढ़ाकर एक शुरुआत तो की ही जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे वृद्ध और विकलांग लोगों को पेंशन योजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है जो काम करने में असमर्थ हों। रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और कार्यस्थलों पर जीवन लायक परिस्थितियों की समस्याओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अगर आज राजस्थान रोजगार गारंटी में प्रथम है तो इसकी सफलता के पीछे सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं, जागरूक लोगों तथा विभिन्न जन–संगठनों की भी प्रमुख भूमिका रही है। सामाजिक अंकेक्षणों के माध्यम से जगह–जगह कार्यों में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है, जिसका नतीजा हमारे सामने है।

**विविधा फीचर्स से साभार**

## अँधेरे बंद कमरे में ताजी हवा का झोंका

**आशीष झा**

इस खबर पर खुश होने की वजह स्वाभाविक है। किसी सरकारी योजना पर अगर ठीक से अमल हो तो बेशक परिणाम उतने ही सार्थक होंगे, जितने धनबाद में हुए। वहाँ ऐसा हुआ, जिसकी कुछ माह पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

झारखंड के कोयला 'उद्योग' में भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। कोयला राजधानी धनबाद में स्थितियाँ विकट थीं, लेकिन इनसे निपटने में कारगर हुआ 'पंच परमेश्वर' का मंत्र। अंतहीन शिकायतें, उनकी जाँच और कार्यवाही की प्रक्रिया से ऊबे ग्रामीणों और अधिकारियों ने साथ बैठकर निदान का रास्ता निकाला। उन्होंने अपने मुकदमे खुद हल करने का फैसला किया। इसके लिए अपने बीच से ही पंच तय किए, भ्रष्ट कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया और अपना रवैया सुधारने की चेतावनी दी।

धनबाद में अधिकांश चीजें कोयला आधारित हैं। व्यवसाय कोयले का, उद्योग कोयला आधारित, मजदूर कोयला उत्खनन पर आश्रित और चोर भी कोयले के। चोरी से रोज आमदनी होती है दो सौ से सात सौ रुपए तक। ऐसे लोगों को नरेगा से जोड़ना मुश्किल था, खासकर तब, जब भुगतान में आनाकानी भी होती हो। यहाँ की नरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार कितना है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में किसी सरकारी कर्मचारी पर पहला मुकदमा यहीं हुआ। प्रशासन के पास दिनोंदिन शिकायतों का अंबार लगता जा रहा था। ऐसे में उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने चुनिंदा प्रखंडों में शिकायतों पर कार्यवाही के लिए स्थानीय लोगों से मिलने, श्रमिकों से बात करने का निर्देश दिया है।

शिकायतों की नियमित जाँच से पंचायत सेवकों की गलती साबित हुई। नियमानुसार 15 दिन के अंदर भुगतान का प्रावधान है, लेकिन अधिकारियों ने तीन दिन के अंदर भुगतान कर उसकी रिपोर्ट देने का निर्देश पंचायत सेवक को दिया। सख्ती हुई तो परिणाम आने लगे। लेकिन अब ग्रामीण सिर्फ भुगतान लेकर संतुष्ट नहीं थे, वे कार्यवाही भी चाहते थे। एक ऐसे ही मामले में पंचों की राय पर पंचायत सेवक पर दो हजार रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माने की रकम श्रमिकों में बाँट दी गई। ऐसे कुछ फैसले और भी हुए। इन फैसलों से कोयला चोरी भले ही पूरी तरह न रुकी हो, मगर ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों में यह संदेश जरूर गया कि नरेगा में काम करने पर दिहाड़ी नहीं

मरेगी। इसका नतीजा दिख रहा है। कोयला चोरी के लिए सर्वाधिक बदनाम निरसा में नरेगा के अंतर्गत ग्रेड 1 व ग्रेड दो की सड़कों के निर्माण की योजना में प्रतिदिन ढाई सौ से अधिक मजदूर हाजिर होते हैं।

**साभार : दैनिक जागरण, 27 अगस्त 08**

## कोडरमा में व्यापक भ्रष्टाचार

कोडरमा जिले में जी बी पंत संस्थान, इलाहाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून के अंतर्गत चलने वाली योजनाओं का सर्वेक्षण 5 जून 2008 से 17 जून 2008 तक किया गया। सर्वेक्षण के समापन पर 18 जून 2008 को मरकच्ची में 10 बजे से 3 बजे तक जन सुनवाई का आयोजन किया गया।

नरेगा के अंतर्गत बेंदी पंचायत, चंदवारा प्रखंड, कोडरमा जिले में 1 नवंबर 2007 से 30 जनवरी 2008 तक वन विभाग द्वारा काम कराया गया। यह काम वन प्रबंधन और भूजल संरक्षण वालों के नाम से करवाया गया। सर्वेक्षण दल ने इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पाया। मस्टर रोल के अनुसार 77 मजदूरों ने 28 दिन काम किया था और प्रत्येक मजदूर को कुल 2147.04 रुपए का भुगतान किया गया था। सर्वेक्षण दल ने 77 में से 53 मजदूरों से उनके घर जाकर मस्टर रोल में दर्ज सूचनाओं का सत्यापन किया। दल ने पाया कि 53 में से किसी भी मजदूर ने 28 दिनों तक काम नहीं किया। उनमें से 6 मजदूरों ने एक दिन भी काम नहीं किया, लेकिन मस्टर रोल में उन्हें 2147.04 रुपए का भुगतान किया गया। जैसे : बेंदी गाँव में रहने वाले ननका अगोरी ने कोई भी काम नहीं किया। लेकिन मस्टर रोल नंबर 133120 में उन्हें 2147.04 रुपए का भुगतान दिखाया गया।

मस्टर रोल के अनुसार सर्वेक्षण दल द्वारा चयनित 53 मजदूरों को कुल 1,13,718.28 रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन वास्तव में उन्हें सिर्फ 68,301 रुपए का भुगतान हुआ। 45,477.28 रुपए का, जो 1,13,778.28 रुपए का 40 प्रतिशत है, कोई हिसाब–किताब नहीं है। 40 प्रतिशत मजदूरी कहाँ गई, किसी को नहीं मालूम।

इस भ्रष्टाचार के खिलाफ 17 जून 2008 को बेंदी ग्राम के 26 मजदूरों ने डीएफओ को लिखित शिकायत की। उन्होंने पत्र में लिखा कि उनके नाम पर मस्टर रोल में ज्यादा मजदूरी का भुगतान किया गया, जबकि उन्हें बहुत कम पैसा मिला है। मजदूरों ने अपने शिकायत पत्र में यह भी उजागर किया है कि लगभग 6 माह से उनके जॉब कार्ड वन विभाग के पास हैं। मजदूरों के पास अपना जॉब कार्ड न होने के कारण उन्हें नरेगा के अंतर्गत चलने वाले अन्य निर्माण कार्यों में मजदूरी नहीं मिल पा रही है।

सर्वेक्षण दल ने बेंदी ग्राम में हुए वन विभाग द्वारा नरेगा के काम में व्यापक भ्रष्टाचार पाया है। एक तरफ जहाँ मजदूरों के नाम पर ज्यादा पैसा उठाया गया वहीं दूसरी ओर लंबे समय से उनके जॉब कार्ड वन विभाग के पास अनाधिकृततौर पर जमा हैं।

**पंचायती राज अपडेट से साभार**

## मजदूरों के पलायन में कमी

नरेगा की सफलता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि नरेगा ने गरीब राज्यों, खासकर उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से मजदूरों के पलायन को काफी हद तक रोका है। मजदूरों को अपने गाँव में ही रोजगार मिल जाने से उन्होंने काम की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना छोड़ दिया है। पंजाब ऐसा राज्य है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। पंजाब के किसानों को तो पहले से ही खेती में मुश्किलें आ रही थीं, क्योंकि इस राज्य में खेती अधिकांशतः बिहार से आए प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है। लेकिन अब बिहार तथा उत्तर प्रदेश से मजदूरों के पलायन में आई कमी से इस राज्य में उद्योगपतियों को भी मजदूरों की कमी खल रही है। जैसे ऊनी कपड़ों के उद्योग में लगे कुशल मजदूर अभी तक नहीं आए हैं।

उद्योगपतियों के अनुसार, यह कमी नरेगा के क्रियान्वयन की वजह से आई है। पहले उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से मजदूर आते थे, लेकिन अब जब रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में लागू कर दी गई है, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों ने इन राज्यों से पंजाब आना छोड़ दिया है। हरियाणा समेत पड़ौसी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी पंजाब से बेहतर है, बल्कि हरियाणा देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देता है। जहाँ पंजाब में अकुशल मजदूर प्रतिमाह 2,620 रुपए की

न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करता है, वहीं हरियाणा में अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 3,586 रुपए प्रतिमाह है।

**पं.रा.अ. से साभार**

## जन पक्षधर विकास

बेनालिन गोवा का पहला या केवल ऐसा गाँव नहीं है, जहाँ ग्राम सभा में एकत्रित ग्रामीणों ने अपनी ग्राम पंचायत के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार तथा ऐसी परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति देकर जो जनता के प्रतिकूल हो, सार्वजनिक हितों के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया हो। इन दिनों राज्य में कई पंचायतें ऐसी स्थिति का सामना कर रही हैं। ग्राम सभा द्वारा ग्रामीणों के हितों को उठाना और पंचायतों के काम–काज को चुनौती देना निश्चय ही ग्रामीणों के बीच जागरूकता के उच्च सूचकांक को दर्शाता है। लेकिन इन सभाओं की प्रक्रिया में पंचायतें अप्रासंगिक होती जा रही हैं, जो न तो पंचायती राज संस्था के लिए ठीक हैं और न ग्रामीणों के लिए ही। जैसा कि हाल में हुआ है ग्राम सभाओं ने असहमति का चरित्र अपना लिया है। कई मामलों में उन्होंने पंचायतों द्वारा विकास परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों को रद्द कर दिया है और परियोजनाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव पास किया है। क्या इसका मतलब यह है कि पंचायतें नौकरशाह हो गई हैं या फिर वे वास्तव में बाहरी शक्तियों के अनुसार कार्य कर रही हैं ? गाँव के लोग ही पंचायत समिति का चुनाव करते हैं। फिर कैसे वही पंचायत ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देने का साहस कर सकती हैं, जो उसके खुद के मतदाताओं के हितों को नुकसान पहुँचाती हों ? परंतु ऐसा हो रहा है और बहुत से मामलों में पंचायत प्रतिनिधि उन परियोजनाओं को अनुमति देने की अपनी कार्यवाही का औचित्य सिद्ध करने में विफल रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि पंचायतों ने किस हद तक उन्हीं लोगों को पृथक कर दिया है, जिनका वे प्रतिनिधित्त्व करती हैं।

यह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायतों के कार्यक्रमों में पारदर्शिता और सार्वजनिक अनुकूलता के अभाव ने गाँववालों को विकास परियोजनाओं के विरुद्ध कर दिया है। गाँववाले मूलतः विकास के विरुद्ध नहीं होते, वे यह तय कर पाने में असफल होते हैं कि उस परियोजना का उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यह निश्चिततौर पर पंचायतों की गलत कार्यवाहियों का नतीजा है कि गाँववाले विकास परियोजनाओं के विरुद्ध हो गए हैं। यह शर्म की बात है कि पंचायतों ने कभी अपने कार्यों के परिणामों के बारे में तथा पूरे राज्य के विकास पर यह किस प्रकार दुष्प्रभाव डालेगा, इस बारे में नहीं सोचा। मेगा परियोजनाएँ हमेशा आम जनता के हितों के विरुद्ध होती हैं। परंतु जो स्थिति इसने बेनालिन में पैदा कर दी है, इसका निश्चित तौर पर कोल्वा, बेतालबेटिम, वकी, मजोरदा, ओर्लिन, कर्मोना और केल्लासिम के ग्रामीणों की मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं कि इस गाँव के लोग ऐसी किसी भी परियोजना का विरोध करेंगे। आरंभ में परियोजना के मालिक ही कुछ खोते दिखाई देंगे, परंतु अंततः सचाई यही है कि जनता ऐसे अवसर खोएगी जो बहुत कम मिलते हैं। नजदीक से देखा जाए तो यह भी पता चलेगा कि असल में ये परियोजनाएँ विभिन्न समूहों या पार्टियों की आपसी दुश्मनी का शिकार हो गयी हैं। अकसर ही ऐसे लोग या पार्टियाँ, जो चुनाव हार चुकी होती हैं, ग्राम सभा सदस्यों को सत्तारूढ़ पंचायत के विरुद्ध भड़काते पाए जाते हैं। दुख की बात यह है कि यह हलका काम गोवा के भविष्य की कीमत पर किया जा रहा है। हमें पंचायतों के स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों तथा आगे की पीढ़ियों के हितों के विकास की प्रक्रिया भी संतुलित रूप से बढ़ती रहे।

**संपादकीय, नवहिंद टाइम्स से साभार**

## मतदान शक्ति से मिली महिलाओं को जीत

**निशा नाम्बियार**

शीरूर तालुक के झामबुत गाँव की महिलाओं का मतदान द्वारा शराब की दो दुकानों को बंद करवाए जाने के उदाहरण का अनुसरण अब नजदीकी गाँवों शिकारपुर और ढोरलेवाड़ी की महिलाओं द्वारा पुणे जिला कलेक्टर को अपने–अपने गाँव से

शराब की दुकानें हटाने की अपील देकर किया जा रहा है।

पिछले वर्ष अगस्त में झामबुत की महिलाओं ने विशेष मतदान प्रक्रिया के जरिए अपने गाँव में चल रही शराब की दुकानों को बंद करवाकर एक बड़ी जीत हासिल की। उत्पाद शुल्क विभाग के 30 जून 2003 के राजपत्र में प्रकाशित एक नियम के आधार पर महिलाओं ने अपने गाँव में यह कदम उठाया है। इस नियम के अनुसार यदि किसी गाँव की 25 प्रतिशत महिलाएँ उस गाँव में शराब की बिक्री के विरोध में हों, तो उत्पाद शुल्क विभाग के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह उस दुकान को तत्काल बंद करवा दे। झामबुत की महिलाओं से प्रेरित होकर ही शिकारपुर और ढोरलेवाड़ी ग्राम पंचायतें भी अपने गाँवों में शराब की दुकानें बंद करवाने का प्रयास कर रही हैं।

राज्य उत्पाद शुल्क(पुणे जिला) के अधीक्षक विजय चिंचालकर ने बताया कि इन दोनों गाँवों का आवेदन प्राप्त हो गया है और मतदान प्रक्रिया के क्रियान्वयन से पहले होने वाली आवश्यक जाँच शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया, 'अपील की प्रामाणिकता और शराब की दुकानों की विरोधी महिलाओं के प्रतिशत की जाँच की जाएगी। प्रतिशत के अनुसार हम मतदान ठीक उसी प्रकार करवाएँगे जिस प्रकार झामबुत में हुआ था।' इससे पहले अकुर्दी और केंदूर की महिलाओं ने भी ऐसी अपील दी थी, जिसके बाद मतदान प्रक्रिया से शराब की तीन दुकानें बंद करवाई गई थीं।

चिंचालकर ने बताया कि जिले में कुल दो परमिट कमरे हैं और तीन देशी शराब की दुकानें हैं, जिन्हें इस प्रक्रिया के बाद बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया, अब ज्यादा से ज्यादा गाँव इस नियम से परिचित हो रहे हैं और उत्पाद शुल्क विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। इस बीच शिकारपुर और ढोरलेवाड़ी गाँव इस प्रस्ताव के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं।

शिकारपुर की निवासी ताई वाघमोड़ बताती हैं कि शराब की इन दुकानों की वजह से पूरे गाँव का वातावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। इसीलिए गाँव की महिलाओं ने एकत्रित हो कर शराब बिक्री के खिलाफ मतदान करने का निश्चय किया। ढोरलेवाड़ी की राधा चिंचावडे बताती हैं कि महिलाओं ने गाँव में अन्य महिलाओं को शराब के विरुद्ध वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए और गाँव में देशी शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए ग्राम सभा की विशेष बैठकें भी आयोजत करवाईं।

नियम यह है कि यदि किसी गाँव, नगर निगम वार्ड या नगरपालिका की कम से कम 25 प्रतिशत महिलाएँ शराब की दुकानों की बंदी के लिए माँग करती हैं तो जिला कलेक्टर को संबंधित क्षेत्र की महिला मतदाताओं के बीच एक गोपनीय मतदान करवाना होगा और यदि 50 प्रतिशत से अधिक महिला मतदाता बंदी के प्रस्ताव का समर्थन करती हैं तो कलेक्टर को उत्पाद शुल्क विभाग की सलाह से तुरंत इस आशय का आदेश देना होगा।

**इंडियन एक्सप्रेस, 18 अक्टूबर 08 से साभार**

## स्कूली बच्चों के लिए डिब्बाबंद आहार का विरोध

दोपहर भोजन में 'तैयार खाद्य पदार्थों' के इस्तेमाल का दृढ़ता से विरोध करते हुए कुछ सामाजिक समूहों और संगठनों ने कहा है कि इसका सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से सीधे अंतर्विरोध होने के अलावा, यह बच्चों के हित में भी नहीं है। इस बात की ओर इशारा करते हुए कि 'डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ' वे चाहे किसी भी रूप में हों, न केवल डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर हमारी निर्भरता बढ़ाने के साथ ही देश में एक अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति को भी जन्म देंगे, बल्कि हमारी विस्तृत संस्कृति और खान–पान की विविधता को खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे एक पत्र में इन्होंने बताया कि भारत तथा अन्य देशों के तकनीकी विशेषज्ञ शिशुओं तथा बच्चों के लिए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की सलाह कभी नहीं देते। पौष्टिकता कार्यक्रमों में अधिकतर देश अपनी जनता के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों से स्वस्थ खाद्य पदार्थ की तरफ जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य और पौष्टिकता कार्यक्रमों की दिशा बदलने के साथ समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आँगनबाड़ियों को सार्वभौमिक बना सकेंगे। इससे पाँच वर्ष से कम उम्र के दो करोड़ बच्चों की मौत को रोकने में मदद मिलेगी। पत्र में

इस बात पर जोर दिया है कि 'स्थिरता तथा गरीबी की मूलभूत समस्याओं के कारण इस प्रस्ताव से बेहतर निष्कर्षों के निकलने की उम्मीद नहीं है।'

इसके अलावा प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की टिप्पणियों से यह साफ पता चलता है कि इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। टिप्पणी के अनुसार 'यदि मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो यह गरीबी और बाल कुपोषण को खाद्य उद्योगों के लिए मुनाफे की वस्तु बना देगा और जन कोषों की धारा इन समस्याओं को बढ़ाने वाली गैर–बराबरी की जड़ों को खत्म करने के बजाय उलटे इन उद्योगों की तरफ बहने लगेगी।'

सामाजिक समूहों ने डॉ. सिंह से केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को निरस्त करने की अपील करते हुए उनसे सर्वोच्च न्यायालय के 7 अक्टूबर 2004 के आदेशों, जिन्हें 13 दिसंबर 2006 को दुहराया गया, के अनुसार समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय रूप से तैयार भोजन बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए नीतियों के निर्माण की माँग की है। समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जोड़ने के अलावा इस पत्र ने नवजात शिशुओं को छह माह तक सिर्फ माँ का दूध दिए जाने और स्थानीय संसाधनों से घर में बने भोजन के लिए आवंटित बजट के साथ कार्यकारी योजना बनाने की सिफारिश की।

हस्ताक्षरकर्ताओं में अन्य लोगों के साथ हर्ष मंदर, वीना मजुमदार, ज्याँ द्रेज़, वंदना प्रसाद, मीरा शिवा, ब्रज पटनायक, इनाक्षी गांगुली ठकराल, के. शानमुगम वेलायुथम और सावित्री राय शामिल हैं।

## मंत्री समूह का प्रस्ताव पर विचार

17 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के वितरण के विवादास्पद मुद्दे पर विचार करने के लिए एक मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल 15 राज्यों में बना हुआ गरम भोजन दिया जाता है और 11 राज्यों में गरम भोजन और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का मिश्रण दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों ने राज्यों तथा महिला और बाल नेत्रालय को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना के लिए चेतावनी दी है। जब तक मंत्रियों का समूह किसी नतीजे पर नहीं पहुँचता, तब तक स्थिति यथावत बनी रहेगी।

**पं.रा.अ. से साभार**

## नरेगा के लिए राष्ट्रीय हॉटलाइन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने अपने नई दिल्ली स्थित केंद्र में राष्ट्रीय हॉटलाइन स्थापित करने का निश्चय किया है। यह हॉटलाइन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े परिवारों और अन्य लोगों को रोजगार योजना संबंधी मामलों पर मंत्रालय तथा संबंधित अधिकारियों से सहायता लेने में मदद करेगी। हेल्पलाइन का एमटीएनएल का निःशुल्क नंबर 1800110707 है। ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़े परिवार तथा अन्य लोग मंत्रालय के अधिकारियों के पास सवाल उठाने, शिकायतें जमा करने तथा मदद माँगने के लिए इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

**पं.रा.अ. से साभार**

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : **isstdel@isst-india.org**
वेबसाइट : **www.isst-india.org** फोन : 91-11-24647873, 24653780